खण्ड: 5, अंक: 5

मई 2022

संश्लेषण

सी जी एस मासिक पत्रिका

धार्मिक स्थलों का पुनरूद्धार

आस्था, अस्मिता एवं अखण्डता

सी.जी.एस.

वैश्विक अध्ययन केंद्र

दिल्ली विश्वविद्यालय

मुख्य संपादक
प्रो. सुनील के चौधरी

संपादकीय मंडल

डा. रमेश भारद्वाज
डा. संध्या वर्मा
डा. महेश कौशिक

डा. अभिषेक नाथ
डा. आशिष कुमार शुक्ल
राम किशोर

© सीजीएस 2022

रूपाकंनः काजल

संश्लेषण

धार्मिक स्थलोंका पुनरूद्धारः आस्था, अस्मिता व अखण्डता

अनुक्रमिका

संपादकीय i-ii

1. धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धारः चरित्र निर्माण में धार्मिक आस्था का विमर्श एवं उपयोगिता
– निशांत यादव 1–5

2. भारतीय धरोहरों की सरोकारता – आशीष कुमार 6–9

3. धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धारः आस्था, अस्मिता व अखंडता – संजय स्वमी 10–14

4. धर्म की स्थापना में धार्मिक स्थलों का महत्व 15–18
– डॉ० महेश कौशिक

5. धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धारः भारतीयता एंव देशज अस्मिता को पुनर्जीवित करने का प्रयास
– सुशांत यादव 19–24

6. भारत में धार्मिक स्थलों का महत्वः राम मंदिर निर्माण के संदर्भ में एक अध्ययन 25–28
– चंद्रिका आर्य

7. भारत में धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण एवं न्यायिक विश्लेषण – डॉ० राखी 29–33

8. धार्मिक स्थलों का भारतीय परंपरा में महत्व – विकास यादव 34–38

9. धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहरः संरक्षण एवं परिरक्षण – जया ओझा 39–42

10.हिन्दू धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धारः एक आध्यात्मिक आवश्यकता – सृष्टि 43–46

11. कश्मीरी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मार्तण्ड सूर्य मंदिर का इतिहास 47–53
– काजल

सम्पादकीय

विकासशील राज्य शोध केंद्र, दिल्ली विश्वविद्यालय अपनी अकादमिक निरंतरता को अनवरत रखते हुए अपनी हिंदी मासिक पत्रिका संश्लेषण के 46वें अंक को प्रसन्नतापूर्वक पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। हिंदी लेखन व पठन को समर्पित यह मासिक पत्रिका 2018 से निरंतर समसामयिक विषयों पर विभिन्न शिक्षार्थियों व शोधार्थियों द्वारा उत्कृष्ट लेखन को प्रोत्साहित कर रही है। समाज विज्ञान के विविध अनुशासनों को अपने भीतर समाहित करते हुए यह पत्रिका विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर लेख आमंत्रित करती है। प्रस्तुत अंक भी इसी दिशा में किया गया एक सामूहिक प्रयास है।

भारत में आचरण के स्तर पर धर्म एक व्यक्तिगत विषय है, जिसमें किसी भी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप को स्वीकृति नहीं दी जाती। इसमें तार्किकता से अधिक आस्था का महत्व होता है। चूंकि भारत एक उत्सवधर्मी देश है, जहाँ विविध उत्सवों के माध्यम से व्यक्तिगत आस्थाओं का सामूहिक प्रकटीकरण किया जाता है। इस अवसर पर धार्मिक स्थल इसके प्रमुख केंद्र के रूप में देखे जाते हैं। धार्मिक स्थल एक धर्म के अनुयायियों को धर्म की अभिव्यक्ति का स्थान भी उपलब्ध कराते हैं तथा साथ ही उनकी सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक भी होते हैं। परंतु भारत में विगत शताब्दियों में इन प्रतीकों का स्वरूप परिवर्तित किए जाने के असंख्य प्रयास हुए। परिवर्तन का ये प्रयास संरचनात्मक ना होकर विखंडनकारी ही रहे। यह विचार इस तथ्य पर आधारित है कि भारत एक लंबे समय तक बाह्य आक्रांताओं से पीड़ित रहा। इस आक्रांताओं ने ना केवल भारत के राजनीतिक अपितु सांस्कृतिक स्वरूप को भी परिवर्तित करने का निरंतर प्रयास किया। यह स्थापित विचार है कि किसी भी देश पर दीर्घ काल तक आधिपत्य स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी संस्कृति को क्षीण किया जाए। इस उद्देश्य से इन आक्रांताओं ने भारत के विविध सांस्कृतिक प्रतीकों, जो भारतीयों की आस्था अस्मिता एवं अखंडता के प्रतीक रहे हैं, को खंडित व परिवर्तित करने का कार्य किया। परंतु एक सत्य यह भी है कि भारतीयों द्वारा इस परिवर्तन का निरंतर विरोध किया जाता रहा हैं। इनके द्वारा निरंतर यह प्रयास किया जाता रहा है कि अपने धार्मिक–सांस्कृतिक प्रतीकों को पुनः उसी रूप में स्थापित किया जाए। और ये प्रयास आज भी अनवरत हैं।

स्वतंत्रता के पश्चात से ही भारत में धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार का प्रश्न भारतीय संस्कृति के विविध प्रश्नों में से एक रहा है। और इस प्रश्न का उत्तर खोजते समय इसके पक्ष व विपक्ष में

विभिन्न तर्क–वितर्क किए जाते रहे हैं। विभिन्न अवसरों पर इसे राजनीति के दायरे में भी लाया जाता रहा है, जिसने पुनरुद्धार की प्रक्रिया को विवादास्पद भी बनाया है। अतः उपरोक्त विषयों को ध्यान में रखते हुए पत्रिका का मई 2022 का यह अंक भारत में धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार के विविध पक्षों को केंद्र में रखकर लिखे गए विभिन्न लेखों का संग्रह है। इन लेखों के माध्यम से भारत में आस्था, अस्मिता एवं अखंडता के दृष्टिकोण से धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों व इन प्रयासों के समक्ष आने वाली नीतिगत एवं राजनीतिक चुनौतियों को विश्लेषित किया गया है। संपादक मंडल द्वारा चयनित ये समस्त लेख अपनी प्रकृति में सृजनात्मक एवं मौलिक हैं। इनमें व्यक्त विचार लेखकों के स्वतंत्र चिंतन को अभिव्यक्त करते हैं।

सुधी पाठकों द्वारा प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर हम पत्रिका के आगामी अंकों की गुणवत्ता में निरंतर रचनात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करते रहेंगे।

संपादक मंडल

मंगलवार, 14 जून 2022

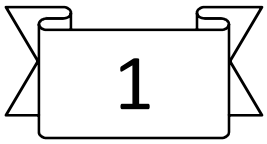

धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धारः चरित्र निर्माण में धार्मिक आस्था का विमर्श एवं उपयोगिता

निशांत यादव

सहायक प्राध्यापक, सत्यवती महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय

जो असीम–अपरिमेय और इंद्रियातीत है, उसके प्रति मनुष्य का आकर्षण सहस्त्राब्दियों से, जब पृथ्वी पर शब्दशः उसका अविर्भाव हुआ प्रायः तभी से चला आ रहा है। धर्म प्रायः ही कभी किसी न किसी प्रकार की भौतिक अभिव्यक्ति से विहीन रहा है– चाहे वह अभिव्यक्ति या मंदिरों के स्वरूप में हुई हो या प्रथाओं के रूप पर या किसी अन्य कला का रूप धारण करके सामने आए। इन्हीं और अन्य अनेक विधियों के रूप में प्रागैतिहासिक मानव अपने धार्मिक विश्वासों के प्रमाण छोड़ गए हैं। उससे सबंधित विश्वासों व आचरण की एकीकृत प्रणाली है। ये विश्वास व आचरण इन्हें मानने वालों को एक नैतिक समुदाय में एकताबद्ध करते हैं, जिसे धर्म कहा जाता है। हमारी परिभाषा में जिस दूसरे तत्व का समावेशन किया गया है वह पहले से कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि धर्म की कल्पना उसके धार्मिक प्रतिष्ठान जैसे हिंदू धर्म के लिए मंदिर, ईसाई के लिए चर्च आदि से अविच्छेद्य है और यह समावेशन इस बात को स्पष्ट करता है कि धर्म प्रमुख रूप से एक सामूहिक और नैतिक अवधारणा है। जिसकी सामाजिक रूप से वैचारिक अभिव्यक्ति इन धार्मिक प्रतिष्ठानों द्वारा ही होती है।

अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि आज के भौतिकतावादी युग में हमें धार्मिक प्रतिष्ठानों की आवश्यकता क्यों आन पड़ी। जब संपूर्ण विश्व में विज्ञान को भगवान माना जाने लगा है तो हम अपने प्राचीन धार्मिक प्रतिष्ठानों के पुनरुद्धार की ओर क्यों बढ़ रहे हैं। समकालीन समय में ऐसा प्रतीत होता है कि हम अब आगे की राह दिखाने वाले विज्ञान की ओर नहीं अपितु विकास की अवधारणा में पीछे की ओर ले जाने वाले धार्मिक क्रिया–कलापों और धार्मिक प्रतिष्ठानों की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर मिलता है कि, पर्यावरणीय विनाश में उत्तरोत्तर वृद्धि और प्राकृतिक आपदाओं के निरंतर बने रहने से धीरे–धीरे विश्व भर में अब यह आम राय बन रही है कि राष्ट्र का विकास तभी अर्थ पूर्ण हो सकता है जब भौतिक प्रगति पर थोड़ा सा लगाम लगाते हुए उसे सतत् विकास की अवधारणा की ओर ले चलें। जिसमें भौतिक प्रगति के साथ–साथ प्रकृ

ति के समकक्ष भी उसकी उपादेयता बनी रहे। जिस हेतु भौतिक प्रगति के साथ आध्यात्मिक मूल्यों का संगम ही सतत और प्रकृति अनुकूल सामंजस्यता को स्थापित कर सकता है। आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों की प्राप्ति हमें धर्म से ही होती है और पुरातन हिंदू सभ्यता का इन्हीं आध्यात्मिक मूल्यों के निर्माण में एक अधिक उल्लेखनीय योगदान है। विशुद्ध भौतिक प्रगति एक नए प्रकार के शोषण को उत्पन्न करती है। जिसे हम उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, नव–उपनिवेशवाद, निर्भरता सिद्धांत आदि के तहत देखते या पढ़ते आए हैं। जिसके तहत उपभोक्तावादी व्यवस्था के अधीन स्थापित मानवीय मूल्यों का पतन होता है तथा समाज में बाज़ारवादी प्रतिस्पर्धा की एक बेतहाशा होड़ शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ विशुद्ध आध्यात्मिक मानसिकता वाला समाज भी मानवीय जीवन के लिए पूर्णतः व्यवहारिक विचार नहीं है। समाज में भली प्रकार जीने के लिए भोजन के साथ अन्य चीजें भी चाहिए इसीलिए भौतिक प्रगति भी आवश्यक है किंतु यह मानवीय जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। स्पष्ट है कि भौतिक प्रगति के साथ–साथ नैतिक मूल्यों का भी आध्यात्मिक सामंजस्य आवश्यक है। राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए यही मानवीय लक्ष्य होना चाहिए और इसी मानवीय लक्ष्य को सनातन धर्म के कार्य–व्यवहार सुव्यवस्थित रूप में अधिनियमित और व्याख्यायित करते हैं।

अभी तक पिछले छह दशकों से हम धर्म के बिना लोकतंत्र का विकास करते हैं। इसी को हमने धर्मनिरपेक्ष राजनीति की संज्ञा दे दी है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ हमारे लिए राज्य को धर्म से प्रथक रखना नहीं रहा है अपितु धर्म विरोधी या अधार्मिक ही रहा है। किंतु राज्य धर्म को यूं ही नहीं छोड़ सकता। राज्य को कानून बनाने चाहिए जो इसे नियंत्रित रखें तथा आवश्यक हो तो हस्तक्षेप करना चाहिए। हिंदू कोड बिल इसका एक उदाहरण है। अनेक राज्यों में जो हिंदू धार्मिक स्थल और धर्मार्थ संस्थान से संबंधित कानून है उन्हें भी इसका उदाहरण माना जा सकता है। धार्मिक स्थलों के अधिग्रहण संबंधी कानून अथवा धार्मिक जुलूसों पर प्रतिबंध आदि राज्य द्वारा हस्तक्षेप के उदाहरण हैं। धर्मनिरपेक्ष भारत में राज्य नें धर्म को एक कानून व्यवस्था की समस्या की तरह ही माना है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सरकार अब तक भारतीय संविधान के नीति निदेशक सिद्धांत में वर्णित समान नागरिक संहिता को लागू करने से इसलिए बचती आयी है कि इससे कानून व व्यवस्था की समस्या खड़ी हो सकती है।

उत्तर औपनिवेशिक भारत में धर्म को कभी एक ऐसी शक्ति के रूप में स्वीकार ही नहीं किया गया जो समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना कर सके। इस नकारात्मक विचार को ही धर्मनिरपेक्षता की संज्ञा दे दी गई है। भारत में मानवीय समाज के लिए यह अवधारणा उपयुक्त नहीं है इस

संबंध में उल्लेखनीय है कि, महर्षि अरविंद ने कहा था कि भारत में सामाजिक जीवन के सभी महान आंदोलनों का सूत्रपात आध्यात्मिक विचारों से ही हुआ है तथा सामान्य रूप से धार्मिक कार्य के साथ इन आंदोलनों की शुरुआत हुई है। यहां तक कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी जम्मू–कश्मीर के अंतिम राजा के सुपुत्र डॉ. कर्ण सिंह द्वारा लिखित पुस्तक के प्राक्कथन में अंततः यह स्वीकार किया है कि भारत में जन समर्थित महान आंदोलनों की पृष्ठभूमि में आध्यात्मिकता ही वस्तुतः उसका आधार रहे हैं।

आज के दौर में जब नैतिक मूल्यों का पतन तथा चारित्रिक दोष हमारे राष्ट्रीय संकट का एक महत्वपूर्ण आयाम बनते जा हैं तो भारतीय समाज में धर्म की पुनर्स्थापना आवश्यक हो जाती है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ट्रांस राष्ट्र धीरे धीरे इस पतन के जहर से समाप्त हो जाएगा। यह पतन भारतीय समाज में चारों ओर दिखाई दे रहा है प्रशासनिक अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। राजनेता धन व पद के लिए दल–बदल, अपराध, हत्या सहित विभिन्न अमानवीय कृत्यों में संलग्न हैं। अध्यापक प्रश्न पत्र का विक्रय कर दे रहे हैं और साक्षात्कार में जाति, धर्म, क्षेत्र, राजनीतिक दबाव या फिर रिश्वत लेकर अँक देने की अपनी भूमिका का दुरुपयोग कर रहे हैं। छात्र नकल करके या रिश्वत देकर पास हो रहे हैं। चिकित्सक अपने मरीजों से अनावश्यक जाँच, दवा आदि के नाम पर धोखाधड़ी करके पैसा कमा रहे हैं। मानवीय समाज का यह पतन कमोबेश प्रत्येक समाज में होता दिख रहा है लेकिन जितना गहरा और जिस गति से भारतीय समाज में हो रहा है वह खतरे की घंटी है। इस चारित्रिक पतन के कारण युवा वर्ग में गहन रोष है और उनके में समाज और राज्य के विरुद्ध कुंठा जन्म लेती जा रही है।

तब यह प्रश्न पुनः उठता है कि विश्व में सर्वाधिक क्रियाशील जनसंख्या वाले राष्ट्र के साथ यह क्या होने जा रहा है। तो हम पुनः मानवीय जीवन के इतिहास की तरफ लौटते हैं और देखते हैं कि, यूँ तो ऐसा लगता है कि मानवता और धार्मिकता का उदय सम्भवतः समकालीन विकासक्रम की उपज है और इस धार्मिकता के अध्ययन का इतिहास भी कुछ कम पुराना नहीं है। रीति–रिवाजों, कर्मकांड, आस्थाओं और मान्यताओं, शिक्षाओं और सिद्धांतों, असीम–अपरिमेय और इंद्रियातीत शक्ति की विभिन्न व्याखाएँ समय–समय पर मानव करता रहा है। फिर भी 1867 में मैक्स मूलर द्वारा 'धर्मों का विज्ञान' के प्रतिपादन से धर्मों के विश्लेषण में विशिष्ट गंभीरता का आरंभ हुआ। पिछले लगभग दस 150 वर्षों में विश्व के लगभग अनेकानेक धर्मों को समझने और समझाने की प्रक्रियाओं में अच्छा–ख़ासा परिमार्जन हुआ है। इस संदर्भ में यह विशेष रूप से

विचार का विषय है कि भारत में धर्मों के विकासक्रम की चर्चा उनकी सामाजिक और भौतिक पृष्ठभूमि में प्रायः नहीं होती।

इस कमी को दूर करने के लिए इधर हाल के वर्षों में भारत और उसकी लंबी सांस्कृतिक विरासत की नयी पहचान बनाने की अथक प्रयास हो रही है। प्रायः यह मात्र संयोग नहीं है कि इस पहचान का केंद्र बिंदु न केवल हिंदू धर्म अपितु उसमें भी विशिष्ट भारतीय भाषा–भाषियों द्वारा जनित और पोषित देशज विचारधारा को बनाया जा रहा है। उदाहरण के रूप में हम संस्कृत, हिंदी, तमिल, तेलगू, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम आदि भारतीय भाषाओं के द्वारा धार्मिक अभिव्यक्ति और इसके धार्मिक प्रतिष्ठानों के लिए सामुदायिक विमर्श को देख सकते हैं। जो सभी भारतीयों को इस प्रवृत्ति के दूरगामी प्रभावों से अभिवृधि करेगा। जो इस तथ्य पर मंथन को दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति का मूल प्राण और उसकी वास्तविक विरासत आध्यात्मिक, नैतिक पहचान के साथ साथ प्राचीन धार्मिक प्रतिष्ठान है। गुरुदेव रवींद्र नाथ टैगोर नें भारतीय संस्कृति को मानवता का महासागर कहा था जिसमें असंख्य जलधाराओं का समागम हुआ। इस प्रकार भारतीयता को धर्म की व्याख्याओं से संबोधित करने पर और उसके धार्मिक प्रतिष्ठानों का पुनरुद्धार करने पर भारत की सदियों प्रचीन सांझी संस्कृति की अविरल धारा का भान होगा जो आने वाली युवा पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से अवगत कराएगा और उनमें चारित्रिक, नैतिक और सामाजिक पवित्रता का बोध कराएगा जो आगे चलकर सतत विकास के साथ सहभागी होनें में सहायता प्रदान करेगा।

♦♦♦♦♦

संदर्भ ग्रंथ

- मल्होत्रा, राजीव (2013). विभिन्नता. नयी दिल्लीः हार्पर कोलिंस
- श्रीमाली, कृष्ण मोहन (2011). धर्म, समाज और संस्कृति. नयी दिल्लीः ग्रंथ शिल्पी प्रकाशन

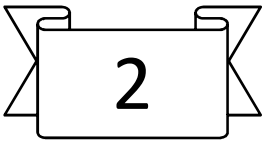

2

भारतीय धरोहरों की सरोकारता

आशीष कुमार 'अंशु'

भारतीय धरोहर के प्रति सरकार कितनी गम्भीर है? यह प्रश्न जब जैसलमेर किले (सोनार किला) की दीवार गिरी तो और अधिक गम्भीरता से सामने आकर खड़ा हुआ क्योंकि दीवार गिरने की घटना अचानक नहीं हुई। आठ सौ साठ वर्ष प्राचीन इस दीवार के गिरने का संकट प्राचीन पिछले सात वर्षों से किले पर मंडरा रहा था। वर्ष 2009 में आए भूकंप ने पूरे किले को हिलाकर रख दिया था। बताया जाता है कि किला जिस पहाड़ पर बना हुआ है, यह 154 लाख वर्ष प्राचीन है। लगभग दस वर्ष पुर्व एक बार और अंदर की दीवार गिरने से कुछ लोगों की मृत्यु भी किले में हुई थी।

जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय नीति, शिक्षा और संस्कृति पर स्वतंत्रता के पश्चात् से ही उन लोगों का अधिग्रहण रहा है, जिनका उत्तरदायित्व भारतीय नीति, शिक्षा और विकास के लिए योजना बनाना था किंतु दुर्भाग्यवश उनकी दृष्टि पश्चिमी देशों से कुछ अधिक ही प्रभावित थी। पश्चिमी देशों के छद्म चकाचौंध में वे भारतीय धरोहर का सही मोल नहीं समझ पाए। अर्थात् यह क्यों होता कि जिस बनारस की पहचान पुर्ण विश्व में बाबा विश्वनाथ शिव से है, उन बाबा विश्वनाथ के मंदिर को ए एस आई (आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया) भारतीय धरोहर की सूची में रखना भी आवश्यक नहीं समझता। जबकि राष्ट्रीय धरोहर की सूची कई मकबरें व अंग्रेजीं स्मारक तक ही सीमित हैं। वास्तव में भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भारत में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, धरोहर, स्थान की पहचान करने का कार्य मैकॉले के अनुयायियों के हाथ में रहा। जिसकी हानि न केवल भारत को संपुर्ण समाज को हुई।

फ्रांसीसी इतिहासकार फर्नान्ड ब्राउडेल ने सभ्यताओं पर विशेष कार्य रहा है। सभ्यता को ब्राउडेल इन शब्दों में समझाते हैं– कुछ ऐसा जिसे समाज संरक्षित रखना चाहता हो और उसे एक अनमोल उपहार, विरासत के तौर पर सहेज कर अगली पीढ़ी को सौंपना चाहता हो। समाज की वह विरासत एक पीढ़ी से दूसरी और तीसरी पीढ़ी होती हुई पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती चली जाए।'

यदि भारतीय परीप्रेक्ष्य के विषय में विचार–विर्मश करें तो भारतीय सभ्यता के लिए सबसे अधिक चुनौती पुर्ण समय अंग्रेजों का सम्राज्यवादी दौर था। दुर्भाग्यवश अंग्रेजों के जाने के पश्चात् भी यह चुनौती कम नहीं हुई। उसके बाद भारतीय संस्कृति के प्रश्नों और राष्ट्रवाद का विचार पर निंरतर प्रहार तीव्र हुए। अंग्रेजों से लेकर मैकाले के मानस पुत्रों के दौर तक गिनती के लोग थे, जो भारतीय परंपरा, संस्कृति और भारतीय विरासत का पक्ष ले रहे थे। उसे बचाए रखने के प्रयास के लिए अभियान चला रहे थे, समाज को जागरूक कर रहे थे अथवा निंरतर लिख रहे थे। स्वामी विवेकानंद, श्री अरविन्द, महर्षि दयानंद, मदन मोहन मालवीय, गुरुदत्त, आचार्य चतुरसेन, दीनदयाल उपाध्याय ऐसे ही कुछ नाम हैं।

स्वंतत्रता के पश्चात् शिक्षा और संस्कृति से जुड़े महत्वपूर्ण पदों पर शिक्षा–संस्कृति की नीति और दिशा तय करने के लिए बिठाए गए लोगों पर नेहरूवाद का प्रभाव इस कदर हावी था कि भारतीयता पर गर्व करने की प्रेरणा जिस शिक्षा नीति से छात्रों को मिलनी चाहिए थी। उस लक्ष्य को पाने में भारतीय शिक्षा नीति पूरी तरह असफल रही। जबकि पाठ्यक्रम में बच्चों को सौद्वेश्यपुर्ण कई आपत्तिजनक जानकारी दी जाती रही। जिन भारतीय नायकों पर पूरा देश गर्व करता है, उनके संबंध में कई भ्रामक सुचना निंरतर पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से छात्रों को दी जाती रही। सनातन धर्म के आदर्श पुरुषों को मिथ्या बताया जाता रहा। रामायण को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया तो प्रामाणिक वाल्मीकि रामायण की जगह, वह सारे रामायण पढाए गए, जिनमें श्रीराम और रामायण से जुड़ी मन गढंत कहानी लिखी गई थी और जिनका वाल्मीकि रामायण में उल्लेख तक नहीं है। इन उदाहरणों से समझा जा सकता है कि पाठ्यक्रम तैयार करने वाले मैकॉलेवादी नेहरू भक्तों की मंशा भारतीय संस्कृति को समाज के सामने किस प्रकार प्रकार करने की रही होगी।

यह सच्चाई है कि हम कभी भी कमजोर इच्छाशक्ति के साथ, सुद्वढ़ता इरादों वाले देश का निर्माण नहीं कर सकते। बात यदि इतिहास के साथ साथ ऐतिहासिक विरासत, स्मारको की करें तो इसे लेकर हम सब कितने गंभीर हैं, इस तथ्य का अनुमान ए एस आई द्वारा दी गई इस सूचना से आप लगा सकते हैं कि देश की चौबीस महत्वपूर्ण धरोहर, स्मारक देश से गायब हैं। यह जानकारी पिछले साल लोकसभा को देश के संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने दी थी। इन चौबीस में से ग्यारह राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, धरोहर अकेले उत्तर प्रदेश से गायब हुए हैं। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और महाराष्ट्र से राष्ट्रीय महत्व के दो–दो महत्वपूर्ण स्मारक, धरोहर लुप्त हैं। असम, अरूणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल से एक एक स्मारक

अद्वश्य हुए हैं। सी ए जी की 2013 की रिपोर्ट बताती है कि गायब हुए ऐतिहासिक महत्व के संरक्षित स्मारक, धरोहर (मोनुमेन्ट) की संख्या चौबीस नहीं अपितु बानवे है। इस मामले की जांच में लगे एएसआई के जांच अधिकारियों ने पाया कि सिर्फ चौबीस ऐतिहासिक धरोहरों को वे तलाश नहीं पाए। बाकि शेष चौबीस धरोहर अपनी जगह पर ही मौजूद थे। चौदह धरोहर तेजी से हो रहे शहरीकरण की चपेट में हैं और बूरी तरह प्रभावित हुए हैं। बारह स्मारक, धरोहर जलाशयों और बांध की जद में हैं। इस सुचना के पश्चात् आपके लिए यह अनुमान लगाना कठीन नहीं होगा कि भारत की सरकार अपने ऐतिहासिक स्मारकों और राष्ट्रीय धरोहरों के संरक्षण को लेकर कितनी गम्भीर है। जबकि इनक्रेडिबल इंडिया अभियान में भारत सरकार कितना पैसा विदेशी पर्यटकों को भारत के प्रति आकर्षित करने के लिए खर्च कर रही है। दूसरी ओर हमारे ऐतिहासिक स्मारकों के रख रखाव और देखभाल को लेकर सरकार उतनी ही उदासीन है।

पिछले दिनों चंदेरी, मध्य प्रदेश की यात्रा में मैने पाया कि वहां के ऐतिहासिक किलों की देखभाल का काम करने वाले कर्मचारियों को महीनों से वेतन नहीं मिला था। वे पर्यटकों के आसरे बैठे हैं कि वे आएंगे तो उनसे कुछ प्राप्त होगा। जब कर्मचारियों को समय पर पैसा ही नहीं मिलेगा। अधिकांश कर्मचारी ठेके पर रखे जाएंगे फिर अपने राष्ट्रीय धरोहरों की देखभाल को लेकर हम सब आश्वस्त कैसे हो सकते हैं?

बताया जा रहा है कि नई सरकार और उसके मंत्राी लापता भारतीय स्मारकों, धरोहरों को तलाशने के प्रति गंभीर हैं। इस संबंध में धरोहर से जुड़ी पुरानी फाइलें, रिकॉड्र्स, रेवेन्यू मैप, संदर्भ आलेख की पड़ताल जारी है और जमीन पर जाकर जांच के लिए एक टीम की नियुक्ति कर दी गई है। जो लापता ऐतिहासिक स्मारकों, इमारतों, भवनों, धरोहरों की तलाश करेगा।

भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना दोहराई जाएं इसे लेकर भी वर्तमान सरकार गम्भीर दिख रही है। इसी का परिणाम है कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेन्टर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (इसरो) के साथ एएसआई, समझौता कर रहा है जिसके बाद इनकी मदद से भारतीय धरोहरों, स्मारकों, भवनों आदि का सेटेलाइट आधारित मानचित्रा बनाया जाएगा। इससे संरक्षित एवं राष्ट्रीय स्मारकों और स्थानों का रिकॉर्ड रखना सरल हो जाएगा।

यह सच है कि हम अपने इतिहास को लेकर सजग नहीं रहे, इसी का परिणाम है कि बार–बार हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ किए जाने का दुस्साहस किया जाता रहा। अब जरूरत है

प्रयासपूर्वक अपने इतिहास से जुड़े दस्तावेजों को सहेजने और संभालने की क्योंकि आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी कि आपने पीढ़ियों से चली आ रही संस्कृति की सांस्कृतिक विरासत में उनके लिए क्या बचाकर रखा है? वह पूछेगी कि कहां गए वे स्मारक जिन्हें दस्तावेजों में गायब बताया जा रहा है। वह पूछेगी कि उनके लिए आपने जैसलमेर का किला क्यों नहीं बचाया? उसकी दीवार गिरती रही और आप क्यों सोए रहे?

♦♦♦♦♦

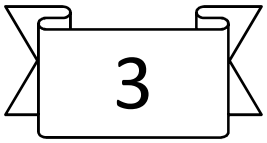

धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धारः आस्था, अस्मिता व अखंडता

संजय स्वामी

प्रवक्ता, राजनीति विज्ञान, एवं राष्ट्रीय संयोजक, (पर्यावरण शिक्षा), शिक्षा संस्कृति उत्थ्र न्यास

धार्मिक स्थल किसी समाज की आस्था श्रद्धा विश्वास के केंद्र होते हैं। समाज में संस्कार निर्मिती व शिक्षा के प्रसार में धार्मिक स्थानों की महती भूमिका पुरातन काल से रही है तथा आज भी है। विभिन्न मत पंथ संप्रदाय प्राचीन काल से चली आ रही परंपराओं, रीति रिवाजों का पीढ़ी दर पीढ़ी सहज पालन करते आ रहे हैं। जीवन में नीरसता, बोझिलता, उदासी, एकाकीपन, हताशा के नकारात्मक विचारों को शांत व समाप्त करने हेतु व उत्साह, उमंग, उर्जा संचार हेतु लोग अपने मन के आग्रह से इन केंद्रों पर जाते हैं।

धार्मिक स्थल किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है। हां भारत में ऐसे अनेक धर्म स्थल हैं जो धर्मपरायण, श्रद्धालु व्यक्तियों ने स्वयं की पूंजी व श्रम से बनवा कर लोक हितार्थ समाज को समर्पित किए हैं।

जो संपदा किसी की नहीं वह ईश्वर की है, यह सत्य है। फिर कोई समाज, वर्ग, जाति शासक या सरकार उसकी मालिक कैसे हो सकती है ? नदियां, पर्वत, झीलें प्राकृतिक हैं। उनका सौंदर्य नैसर्गिक है। नदियों का निर्मल प्रवाह, पहाड़ों के वन, झीलों का अथाह जल, किनारे के विशाल वृक्ष सभी कुछ तो ईश्वर प्रदत्त है। परमेश्वर को किसी भी नाम से पुकारें सर्वत्र उसकी रचना पल्लवित है।यह प्रकृति का नैसर्गिक सौंदर्य है।

हमारी हजारों वर्ष की सभ्यता है। जिस कालखंड में लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। उस काल का इतिहास शून्य कैसे हो सकता है ? किसी भी समाज के गौरवपूर्ण स्वर्णिम अतीत को बहुत लंबे कालखंड तक दबाया, छुपाया नहीं जा सकता। सांस्कृतिक इतिहास लेखनी के बिना भी श्रुति, कथाओं, कहानी और लोकगीतों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा, आज भी जीवित है। जन–जन के हृदय व कंठ में विराजमान है। मीराबाई, तुलसी, सूर, नरसी मेहता, कबीर, नानक, चौतन्य महाप्रभु के अधरों से समय–समय पर सांस्कृतिक चेतना का प्रवाह बन फूटता रहा है।

चोर, लुटेरे, डाकू क्या चोरी–डकैती की संपत्ति के विधायी मालिक हो सकते हैं

से लेकर, राजा महाराजाओं के कालखंड तक तथा वर्तमान प्रजातांत्रिक व्यवस्था में दंड विधान व न्याय व्यवस्था रही है। जिस प्रकार दंड विधान में चोर–डकैतों को आश्रय देने वाले, चोरी का माल खरीदने वाले व्यक्ति भी उतने ही दोषी है जितना डाकूँ–लुटेरा। कानून के शासन में उसी प्रकार से दंड के विधान का पालन होना चाहिए। परंतु विडंबना यह है कि वर्तमान भारतीय दंड विधान अंग्रेजों का बनाया हुआ है अंग्रेजों ने भारतीयों का अधिकाधिक शोषण करने के लिए आई पी सी नामक धारा बनाई थी। जिसमें तुरंत संशोधन अपरिहार्य है। जिसका आज की

के माता–पिता का दुर्घटनावश देहांत हो जाते हैं या कोई बलात उनकी हत्या कर संपत्ति पर अधिग्रहण कर ले, तो क्या भविष्य में बच्चे बड़े होकर अपनी पैतृक संपत्ति के अधिकारी नहीं होंगे ?

लुटेरों ने भारत की अस्मिता को लूटा, निरपराध भोले–भाले लाखों लोगों का कत्ल किया। धर्मपरायण, साधु–संतो तक की नृशंस हत्याएं की। धार्मिक स्थलों का विध्वंस किया। अबलाओं की अस्मिता को तार–तार किया। आज की जनतांत्रिक सरकारें उन आतातार्इयों की कब्रों, मजारों को खूबसूरत बनाने में लगी हुई है। जिनके पूर्वजों की हत्याएं की गई उन्हीं बेगुनाह

हैं। संभवतः विश्व के किसी देश में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा।

भारत के ही अंग कटकर टुकड़े हुए पाकिस्तान, बांग्लादेश में हिंदुओं, सिखों, बौद्ध मतावलंबियों

ही भारत के मूल निवासियों को ठगा जा रहा है, उपहास उड़ाया जा रहा है। वे अपने धार्मिक

स्थलों का पुनरुद्धार करना चाहते हैं तो लुटेरों के वकील टेलीविजन चैनलों पर गला साफ करते हैं।

ध्यान रहे किसी भूखंड या राजनीतिक इकाई को सत्ता के लोभ में खंडित किया जा सकता है उसके टुकड़े–टुकड़े किए जा सकते हैं। किसी मत पंथ के धार्मिक स्थल की अस्मिता को नष्ट

करने के कुत्सित प्रयास किए जा सकते हैं। परंतु लोगों की आस्था को न खंडित किया जा सकता है, न ही समाप्त किया जा सकता है। लोगों की धार्मिक, आध्यात्मिक, भावनाएं मूर्त–अमूर्त स्थानों से सदियों–सदियों तक जुड़ी रहती हैं। लोगों की आस्था ही है जो उन्हें उन स्थलों की ओर जाने के लिए प्रेरित करती है। विज्ञान के युग में आधुनिक शिक्षा प्राप्त जन मानते हैं कि वे धार्मिक प्रतिमान उन्हें दैहिक, दैविक, भौतिक तापों से सहज मुक्ति दिला सकते हैं। यही श्रद्धा व विश्वास लाखों कदमों को दौड़ाता है। निशब्द पत्थर की प्रतिमाओं में ईश्वर के दर्शन करता है। अमरनाथ, कैलाश–मानसरोवर की दुर्गम तीर्थयात्रा करवाता है। ननकाना साहिब, मक्का–मदीना के दर्श कराता है। गोवर्धन पर्वत, कामद गिरि, नैमिषारण्य आदि की परिक्रमा कराता है। आस्था और विश्वास अमूर्त हैं, उनका प्राकट्य मूर्त है। अत्याचारों से विश्वास दृढ़ व आस्था अडिग होती जाती है। हिंदुओं और यहूदियों ने इस सत्य को सिद्ध किया। विश्व में सर्वाधिक बलिदान अनुमानतः एक लाख पचहत्तर हजार शीश श्रीराम जन्मभूमि मुक्ति हित भेंट हुए। आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत से भिन्न रहा है आध्यात्म से जुड़े जन सामान्य वेश परिवेश में समाज में रहते जीवन–यापन करते हुए ही अलमस्त रहे हैं। आध्यात्मिक जगत विज्ञान की सीमाओं से परे का लोक है।

संत कबीर ने गुनगुनाया है–

मन लागा मेरा यार फकीरी में
जो सुख पाया राम भजन में
वो सुख कहाँ अमीरी मे!!
भला बुरा सब का सुन लीजै,
कर गुजरान गरीबी में!!
प्रेम नगर में रहिनी हमारी,
भली बन आई सबुरी में!!
हाथ में खूंडी, बगल में सोटा,
चारो दिशा जागीरी में!!
आखिर यह तन ख़ाक मिलेगा,
कहाँ फिरत मगरूरी में!!
कहत कबीर सुनो भाई साधो,
साहिब मिले सबुरी में!!

जिस प्रकार परिवारिक झगड़ों, संपत्ति विवाद में कमजोर पक्ष या परिवार के सदस्य अपनी जान बचाकर कहीं और भाग जाते हैं पलायन कर जाते हैं तथा कुछ वर्षों बाद साधन, शक्ति संपन्न होकर पुनः अपने उस गांव में जाकर अपनी जमीन जायदाद धनसंपदा को पुनः प्राप्त करते हैं तथा उसका पुनरुद्धार करते हैं वही गांव परिवार कुटुंब जिन्होंने कभी उनकी संपदा को हड़प लिया था उनकी ताकत को देखकर उनका मान सम्मान करते हैं उसी प्रकार आज से सैंकड़ों वर्ष पूर्व भारत की धर्म पारायण जनता का शोषण किया गया, अस्मिता को ध्वस्त करने के प्रयास किए गए भारत का अधिसंख्य जनमानस उस अपमान के विष के घूंट पी कर, अत्याचारों को सहकर भी संघर्ष करता रहा। अनेक राजाओं, प्रजाजनों, साधुओं ने सैकड़ों प्रयास किए अपनी अस्मिता को बचाने के लिए लाखों बलिदान दिए। देवयोग व अपनी जिजीविषा से आज वह सक्षम, ताकतवर है तथा हर प्रकार से साधन संपन्न है अपने मान बिंदुओं, आस्था स्थलों को बचाने उनके पुनरुद्धार के लिए। सक्षम होने के बावजूद भी लोकतांत्रिक मूल्यों, न्याय प्रणाली में विश्वास रखते हुए अपने धार्मिक स्थलों अपने इतिहास अपने गौरव को पुनः स्थापित करना चाहता है इसमें आपत्ति नहीं अपितु स्वागत होना चाहिए। अतीत की भूलों को सुधारने में हठी नहीं विनम्र तत्परता होनी चाहिए।

इतिहास के कलंक को नीर क्षीर विवेक बुद्धि का प्रयोग करते हुए स्वतंत्रता प्राप्ति की वेल में ही सोमनाथ पुनःगौरव स्थापना की तरह सहज हो देना चाहिए था कोई बात नहीं, अब सभी को सब प्रकार से सहयोग करना चाहिए यही लोकतंत्र की सुंदरता है। जो लोग आज भी लुटेरों के पक्षधर हैं उन पर भारतीय दंड विधान अनुसार अपराधिक मुकदमे चलने चाहिए। नाम से कोई मत पंथ का समर्थक या विरोधी नहीं होता। मानसिक भाव विचार से होता है। लोकतंत्र में प्रत्येक समुदायों की भावनाओं को बराबर की स्वीकार्यता मिलनी चाहिए। किसी एक पक्ष का अपरिमित तुष्टिकरण न्याय सिद्धांत के विरुद्ध है। किसी सरकार को अधिकार नहीं कि वह सत्ता के 5 वर्ष के लोभ में चूर होकर ईश्वर की दी हुई संपदाओं को रेवड़ियों की तरह बांटे।

सरकार लोकमत से निर्वाचित होती है अतः किसी समुदाय को वन भूमि, नदियों की भूमि की बंदरबांट न करें अपितु उसे पर्यावरण संरक्षण संवर्धन हेतु सुरक्षित रखे। क्या किसी लोकतांत्रिक सरकार अथवा उसके नेताओं ने घोर तपस्या कर दो चार गज भूमि ईश्वर से प्राप्त की है ? कोई नदी बनाई है ? कोई झील, कोई पहाड़ उत्पन्न किए हैं ? फिर वह कैसे सत्ता मद में चूर होकर सियासती लाभ के लिए भूमियों का आवंटन कर देते हैं ? सभी सरकारों को इस बिंदु पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सभी न्याय शास्त्र के विद्वानों को इस महत्वपूर्ण विषय के

संबंध में विचार–मंथन कर सरकार को सख्त कानून बनाने के लिए बाध्य करना चाहिए। शीघ्र ऐसा कानून बने कि इस भारतवर्ष की प्राचीन भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत किसी भी मत, पंथ, संप्रदाय के मौलिक धार्मिक आस्था स्थलों पर अवैध जबरन अधिग्रहण हैं वे उन्हें अविलंब ससम्मान लौटाए जाएं। प्राचीन धार्मिक, सांस्कृतिक आस्था स्थल राष्ट्र की धरोहर हैं। हृदय से हृदय का संवाद होता है ये चिर पुरातन स्थल नित्य नूतन विचारों एवं संस्कारों के उद्दीपक हैं। एकता, अखंडता, प्रेम–भाईचारे, सौहार्द को विस्तार देने के केंद्र हैं।

भूतकाल की भूलों से शिक्षा लेते हुए वर्तमान को सँवारना चाहिए। आज इतिहास वह है जों अतीत में घटित हुआ, कल इतिहास वह पढ़ा जाएगा जिसे वर्तमान लिखेगा। अपनी कथनी करनी संकल्प शक्ति से मूर्त रूप देगा।

♦♦♦♦♦

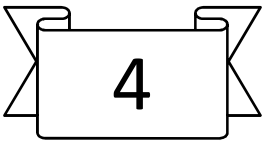

धर्म की स्थापना में धार्मिक स्थलों का महत्व

डॉ महेश कौशिक

प्रवक्ता, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार

ईश्वर के पश्चात धर्म ही संभवतः एकमात्र ऐसा शब्द है जो संसार के सभी मनुष्यों को किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित करता है। यह माना जाता है कि जब से मनुष्य ने सभ्यतागत विकास के क्रम में संगठित समाज के रूप में जीवन जीना आरंभ किया तभी से उसने धर्म के विषय में भी विचार करना प्रारंभ किया। और तभी से यह बहस भी आरंभ हो गई कि मनुष्य के लिए उचित धर्म क्या है। सामान्य रूप से लोग संप्रदाय, मत, फिरका आदि शब्दों को धर्म के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग करते हैं। किंतु संस्कृत भाषा का शब्द धर्म इन शब्दों से पूर्णतया भिन्न है। क्योंकि धर्म शब्द की उत्पत्ति 'ध' धातु से हुई है जिसका अर्थ है धारण और पोषण करने वाला। इस अर्थ में किसी भी वस्तु या व्यक्ति या प्रकृति से उत्पन्न प्रत्येक जीव का एक विशिष्ट धर्म है जो उसकी पहचान से भी जुड़ा है। जैसे सूर्य का धर्म प्रकाश और ऊष्मा देना है यदि सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा को पृथक कर दिया जाए तो सूर्य की पहचान सूर्य के रूप में नहीं रहेगी।

इसी प्रकार अग्नि का धर्म ज्वलनशीलता है। अग्नि से उसका यह गुण पृथक कर दिया जाए अग्नि, अग्नि नहीं रहेगी। इस अर्थ में मनुष्य का धर्म मनुष्यता है और मनुष्यता में वह सभी गुण या लक्षण विद्यमान रहते हैं जो वास्तव में किसी मनुष्य को वास्तविक अर्थों में मनुष्य बनाते हैं और उसे अन्य जीव–जंतुओं से पृथक करते हैं। यदि मनुष्य में विवेकशीलता, क्षमा, प्रेम और करुणा जैसे गुण नहीं होंगे तो उसे मनुष्य नहीं कहा जा सकता। भारतीय सनातन शास्त्रों में मनुष्य के इन्हीं गुणों को धर्म के रूप में परिभाषित किया गया है। सनातन धर्म की उत्पत्ति लाखों वर्ष पूर्व मानी जाती है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि मनुष्य किस प्रकार प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उचित उपयोग करते हुए एवं प्रकृति के साथ सामंजस्य रखते हुए संसार के सभी जीवो के सुख और कल्याण को किस प्रकार अधिकतम कर सकता है।

पिछले हजारों वर्षों में संसार के अलग–अलग क्षेत्रों में समय–समय पर अनेक संप्रदायों का जन्म और विकास हुआ। किसी समय विशेष पर अनेक संप्रदाय बहुत विकसित भी हुए। अधिकांश

संप्रदायों के मूल में अगर हम जाएंगे तो उन सभी संप्रदायों की शिक्षाओं का मूल बहुत सीमा तक एक समान दिखाई पड़ता है और वे सभी संप्रदाय किसी न किसी रूप में मनुष्य को मनुष्यता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते प्रतीत होते हैं। किंतु अधिकांश रूप में हम यह भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि संप्रदायों से जुड़े लोग उन संप्रदायों की शिक्षाओं का पालन करने मात्र को ही अपना कर्तव्य मानते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वह धर्म के मार्ग से भटककर साम्प्रदायिकता के मार्ग पर चलने लगते हैं। यदि संसार के सभी देशों की स्थिति पर दृष्टि डालें तो अनुभव होगा कि अधिकांश देश किसी सम्प्रदाय विशेष की विचारधारा का अनुसरण करने का प्रयास कर रहे हैं। जिसमें उस सम्प्रदाय की अच्छी शिक्षाओं को नहीं अपनाया जा रहा है अपितु उसमें कालांतर में आने वाली बुराइयां अधिक बढ़ रही हैं। इसी कारण से उन देशों में अन्य सम्प्रदाय के लोगों के लिए स्थान समाप्त होता जा रहा है। मुस्लिम तथा ईसाई देश इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। विशेषरूप से मुस्लिम देशों में तो अन्य सम्प्रदाय तो छोड़िए यदि स्वयं मुस्लिम भी वहाँ की प्रचलित विचारधारा से भिन्न मत प्रकट कर दें तो उनका जीवन भी समाप्त किया जा सकता है।

तालिबान तथा सीरिया जैसे अनेक मुस्लिम देशों की स्थिति से इसे सहज ही समझा जा सकता है। क्या कारण है कि वहाँ इतनी कट्टरता है? इसका मुख्य कारण है कि वह जड़ विचारधारा पर केंद्रित है जहाँ किसी आधुनिक विचार के अपनाने पर स्वयं उस समाज ने ही अनेक प्रतिबंध लगा लिए हैं। आज के इस आधुनिक समय में नेत्र दृष्टि दोष का तो निवारण सम्भव है किन्तु विचार दृष्टि दोष का उपचार आज भी कठिन है। इसलिए वह एक बंद अंधेरे कक्ष के समान हो गए हैं जिनमें बंद लोग एक–दूसरे से टकराते रहते हैं तथा लड़ते–मरते रहते हैं।

धर्म एवं धार्मिक स्थल

हज़ारों वर्षों से धार्मिक स्थल कहे जाने वाले मंदिर, मस्ज़िद, गिरजाघरों आदि के पीछे साम्प्रदायिक लड़ाइयाँ लड़ी जाती रही हैं। प्रश्न यह है कि जिन्हें हम धार्मिक स्थल मानते हैं क्या वह धर्म की वृद्धि में कोई भूमिका निभा पाते हैं? यदि इन स्थानों पर मनुष्य को धर्म मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता तो वह केवल सामान्य भवन ही हैं, इससे अधिक कुछ नहीं हैं। इसके विपरीत यदि उन स्थानों पर लोगों में साम्प्रदायिक उन्माद की भावना पैदा करने का कार्य किया जाता है तो उन स्थलों धार्मिक स्थल कहना तो छोड़िए आस्था और विश्वास से भी नहीं जोड़ा जा सकता। वैदिक धर्म जो धीरे दृ धीरे सनातन धर्म में परिवर्तित हुआ तथा जिसे अब हिन्दू धर्म भी कहा जाता है उसमें धार्मिक प्रतीकों का विशेष स्थान एवं महत्व रहा है।

वैदिक धर्म ने सदैव से ही अपनी सीमाओं को अनावृत रखा है। इसलिए एकेश्वरवादी, अनेकेश्वरवादी, आर्यसमाजी आदि सभी हिन्दू धर्म का अभिन्न अंग हैं। हिन्दू धर्म में मंदिरों को केवल आस्था के प्रतीकों के रूप में ही विकसित नहीं किया गया अपितु वहाँ धर्म का उत्थान हो इसकी भी चिंता की गई। यद्धपि शिवलिंग को ईश्वर का प्रथम प्रतीक माना जाता है। किंतु कालांतर में मनुष्य ने उसे अन्य आकारों में भी ढाला। इसका कारण यह माना जा सकता है कि सामान्य मनुष्य के लिए ईश्वर के निराकार स्वरूप से एकात्म स्थापित करना सरल नहीं है। जैसे एक बच्चे को हम शिक्षा का आरम्भ अक्षर ज्ञान कराते हैं तथा अक्षर ज्ञान के लिए भी सम्बंधित गतिविधियों के चित्रों को दिखाकर ही अक्षर ज्ञान देते हैं। जिससे उसके लिए समझना आसान हो जाता है तथा शिक्षा प्राप्ति में उसकी रुचि बढ़ती है। इसलिए इसे श्रेष्ठ पद्धति माना जाता है। इसी प्रकार सनातन में मूर्ति पूजा को अपनाया गया। मंदिर जो वास्तव में साधना के केंद्र थे उनमें मूर्ति स्थापना और उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाने लगी। मंदिर में भजन–कीर्तन आदि भी इसी कारण से आरम्भ हुआ। क्योंकि संगीत अपने आप में ऐसी विधा है जो समाधि की ही एक विशेष स्थिति में मनुष्य को ले जाती है। जब भक्ति रस के साथ संगीत का मिलन होता है तो सामान्य मनुष्य भी अपने दुख और कष्ट भूलकर आनन्द की स्थिति में सहज ही पहुँच जाता है।

इसलिए इस प्रकार मंदिरों आफ के माध्यम से सामान्य जनता को धर्म तथा आध्यात्म जैसे विषयों से जोड़ना सरल हो जाता है। सभी मनुष्य साधक बनें यह न तो सम्भव है तथा न ही आवश्यक है। किन्तु सभी धर्म मार्ग का अनुसरण करें इसकी चिंता तथा व्यवस्था तो समाज के दायित्ववान लोगों को ही करनी होगी। मंदिरों के इस महत्व को ऋषि दृ मुनियों ने ही नहीं अपितु राजा–महाराजाओं और सम्राटों ने भी समझा इसलिए अनेक राजाओं ने अपने शाशनकाल में भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। यह मंदिर ही सामान्य जनता की आस्था और विश्वास के केंद्र बने। इसी का परिणाम था कि मध्यकाल में आधे भारत पर मुस्लिमों का शासन हो गया तथा उसके पश्चात अंग्रेजों के शासन में भी जब भारत का एक बड़ा भू–भाग डेढ़ सौ वर्षों तक रहा तब भी भारत की जनता का सनातन धर्म में विश्वास बना रहा। यह धार्मिक स्थल इतने बड़े पैमाने पर बने हुए थे कि आक्रांताओं द्वारा हज़ारों धर्म स्थल ध्वस्त करने तथा लंबे शासनकाल के पश्चात भी सनातन धर्म तथा उसमें आस्था रखने वालों का आंशिक पतन ही किया जा सका।

वर्तमान समय में देश में सनातन धर्म के धार्मिक स्थलों के पुनरूद्धार पर गंभीर बहस चल रही है। विशेषरूप से राम मंदिर बनने का मार्ग कण्टकविहीन होने से ज्ञानव्यापी मंदिर इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। एक मत यह है कि हिंदुओं को राम मंदिर मिलने के बाद

साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने हेतु अब अन्य धार्मिक स्थलों पर दावा छोड़ देना चाहिए। दूसरा मत यह है कि काशी से लेकर मथुरा तक सनातन धर्म की आस्था के जितने बड़े केंद्रों अर्थात मंदिरों को तोड़कर मस्ज़िद निर्माण करवाया गया उन सभी को हिंदुओं को वापस लेना

ही चाहिए। प्रश्न यह भी है कि साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने हेतु क्या सभी पक्षों को अपने कर्तव्य का पालन नहीं करना चाहिए? 1947 स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जब देश का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान किस आधार पर मुस्लिम पक्ष को मिला? हिंदुओं को जो भारत मिला उसमे क्या उस समय की मुस्लिम जनता का यह कर्तव्य नहीं था कि जिन मंदिरों को ध्वस्त करके मस्जिदों का निर्माण भूतकाल में हुआ था उन हिन्दू मंदिरों को यहाँ के मुस्लिम स्वयं ही अपने हिन्दू भाइयों को भेंट कर देते। किन्तु सनातन धर्म के लोगों की आस्था के सर्वोच्च देव श्री राम के जन्मस्थान पर मंदिर बनाने के लिए भी हिंदुओं को स्वतंत्रता के पश्चात पिचहत्तर वर्ष तक कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ी। इस समय भी ज्ञानव्यापी मंदिर पर फिर वही लड़ाई चल रही है। इस बात को सभी जानते हैं कि मुस्लिम शासकों ने क्रूरता की सभी सीमाओं का अतिक्रम्ब करते हुए यहाँ मंदिरों को लूटा और तोड़ा। फिर भी यहां का मुस्लिम वर्ग यदि उन आक्रांताओं के कुकृत्यों से अपने आप को जोड़े रखने में गर्व की अनुभूति करेगा तो तो कभी भी समाज में शांति तथा सौहार्द स्थापित करना सम्भव नहीं होगा। यद्धपि मंदिर–मस्जिद का आध्यात्म के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है किंतु यह समाज के लोगों की आस्था और विश्वास के प्रतीक सदैव बने रहेंगे। इसलिए समाज को ही इन्हें बचाने के लिए अपने झूठे दम्भ की बलि देनी पड़ेगी।

♦♦♦♦♦

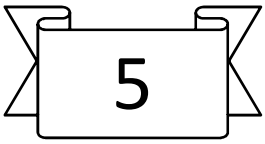

5

धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धारः भारतीयता एंव देशज अस्मिता को पुनर्जीवित करने का प्रयास

सुशांत यादव

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारत में जब भी प्राचीन धार्मिक स्थलों पर धार्मिक क्रियाकलापों के संपादन व उसके सौंदर्यीकरण एवं पुनर्निर्माण का विमर्श प्रारंभ होता है तो वह हिंदू धार्मिक परंपरा पर मध्ययुगीन समय में इस्लामिक मान्यता वाले राजाओं के धार्मिक अतिवादिता की कहानी से प्रारंभ होता है। भारत में हिंदुओं व मुस्लिमों के मध्य अत्यधिक रूचिकर संबध रहे हैं। यद्यपि इस भूखंड में विश्व के लगभग सभी धर्म के अनुयायी और उनके धार्मिक क्रियाकलापों की अभिव्यक्तियाँ पायी जाती हैं किंतु यहाँ का सांप्रदायिक परिदृश्य बहुत अधिक तक इन दो बड़े धर्मों अर्थात् हिंदुओं और मुस्लिमों के आपसी संबंधों से निर्मित होता है।

सातवीं–आठवीं शताब्दी में सिंधु में इस्लाम के आगमन से ही दोनों के मध्य संबंधों की शुरुआत होती है। राजनीतिक और आर्थिक आधार पर तो यह संबंध सहयोग और संघर्ष पर आधारित था जिसके अंर्तगत दोनों धर्मों के अनुयायियों नें एक दूसरे से बहुत आदान–प्रदान किया। साहित्य, संगीत, स्थापत्य, चित्रकला, मूर्तिकला, पाकशास्त्र, दर्शन, युद्धशास्त्र जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था जिसमें इन दोनों बड़े धर्मों नें एक–दूसरे को प्रभावित न किया हो। यहाँ यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि, इस्लाम के आने के पश्चात् भारत वही नहीं रह गया जो इसके आने के पहले था और इसी प्रकार भारत में इस्लाम के आचार–व्यवहार में जो परिवर्तन आया वह उसके उद्गमस्थल मध्य पूर्व और विश्व के दूसरे भूखंडों पर फल–फूल रहे इस्लाम से भिन्न बना देता है।

परंतु जब बात धार्मिक मान्यताओं, विश्वास, परम्पराओं की आती है तो यहाँ इस्लाम का स्वरूप उग्र और अन्य धर्मों को अपने अधीन रखने वाला देखने को प्राप्त होता है। यही कारण है कि पिछले हजार वर्षों में इन दोनों धर्मों के अनुयायी आपस में अत्यधिक संघर्षरत रहे हैं और यह

संघर्ष आज भी किसी न किसी रूप में उपस्थित है। दोनों के मध्य होने वाले संघर्षों में एक गुणात्मक परिवर्तन अंग्रेजों के आने के पश्चात् आया। उससे पुर्व सामान्य रूप से सामान्य जनों के आपसी संघर्ष के उदाहरण बहुत कम है। हिंदू और मुस्लिम शासक आपस में युद्ध करते थे पर मुस्लिम शासक अपनी हिंदू प्रजा के साथ काम चलाऊ संबंध रखते थे। परंतु ये राजा अपने धर्मगुरुओं और अपनी मुस्लिम प्रजा को संतुष्ट करने के अधिकांशतः मंदिर तोड़ते थे और उसके स्थान पर मस्जिद का निर्माण करते थे। इसके साथ हिंदुओं पर जजिया जैसे धार्मिक कर लगाते थे। भारतीय मध्ययुगीन इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा हुआ है। जिसमें युद्धरत मुस्लिम शासकों की सेनाओं द्वारा हिंदू मंदिरों की क्षति और उसके ऊपर इस्लामिक मान्यता के मस्ज़िदों के निर्माण परंपरा देखने को मिलती है।

भारत के राजनीतिक इतिहास में हम देखते हैं कि मुग़लों के पतन से पूर्व ही भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी का आगमन होता है। जिसने मुग़ल साम्राज्य के पतन और भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की नींव रखी। ईस्ट इंडिया कम्पनी के साथ ही भारत में ईसाई मिशनरियों द्वारा ईसाई धर्म का आगमन होता है। सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी के यूरोपीय धार्मिक टीकाकारों की सामान्य धारणा यह थी कि विश्व में मूलतः चार प्रकार के धर्म हैं, जैसे यहूदी, ईसाई, इस्लाम और पेगन या हीथेन यानी मूर्तिपूजक। यही धारणा जिजेनवाग के पत्राचारों में भी दिखाई देती है जो त्रांक्यूबर प्रोटेस्टेंट मिशन के संस्थापकों में से एक हैं। अठारहवीं शताब्दी के आरम्भिक वर्षों में वह तमिल धर्म गुरुओं को पत्र लिखकर यह पूछते हैं कि बताइए, 'विश्व के इन चार धर्मों में कौन सा धर्म हमें परलोक में सुखी बनाने में सबसे उपयुक्त है'। जो यह दर्शाता है कि भारत की विशिष्ट हिंदू धार्मिक परंपरा नें ब्रिटिश प्रोटेस्टेंट मिशनरियों के धर्म संबंधी विचारों एवं उसके गठन की समझ को गहन रूप से प्रभावित किया।

जोफ़्फ़री ए ऑडी अपनी पुस्तक 'परिकल्पित हिंदू धर्म' में बताते हैं कि कुछ यूरोपीय अध्येयताओं के मध्य प्रचलित इस भावना को सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी में व्यापक स्वीकृति मिलने लगी थी कि भारत का प्रधान धर्म हिंदू अन्य मूर्तिपूजक (पेगन) धर्म समुदाय से भिन्न है। हिंदू परंपरा के कुछ विशेष होने के प्रति बढ़ते हुए इस आग्रह नें "हिंदू धर्म" या "हिंदू मत" की अवधारणा के प्रतिपादन को प्रोत्साहित किया। गैर ईसाई धर्म प्रणालियों की पड़ताल एवं समझदारी विकसित करने के प्रयास के रूप में इसके पश्चात् हिंदू–धर्म की शब्दावली का उपयोग एक धारणा और श्रेणी के रूप में अधिकाधिक होने लगा। यह एक ऐसा प्रतीक पट बन गया जो न केवल पश्चिमी विद्वानों बल्कि भारतीय लोगों के भारतीय धर्म संबंधी विचारों पर भी हावी हो गया।

उपर्युक्त संदर्भ में निसंदेह भारतीय धार्मिक सभ्यताओं का भी अपना ऐतिहासिक अभिलेख हैं और भारत के अपने ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्मृतियों की एक लंबी परम्परा है, यद्यपि यहाँ धर्म को इतिहास पर निर्भर नहीं माना जा सकता है। तथापि पश्चिम के विद्वानों और धार्मिक व्याख्याकार इसी तथ्य पर कि धार्मिक संस्कृतियों में शाब्दिक इतिहास पर अधिक बल नहीं दिया जाता है, पर अड़े रहते हैं और यह आरोपित करते हैं कि भारत के धार्मिक आख्यानों में कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है और वे पुर्ण रूप से काल्पनिक हैं। उदाहरण के लिए वेदों में प्रमुखता से सरस्वती नदी का उल्लेख किया गया है एवं विभिन्न उपग्रह चित्रों तथा आधुनिक भूविज्ञान से इसके अस्तित्व को सिद्ध भी किया जा चुका है तथा गुजरात के तट पर स्थित भगवान श्रीकृष्ण की द्वारका नगरी को भी खोज लिया गया है। इन्हें अब भी पश्चिम के शोध अध्ययनों में भारतीय परंपराओं के वितरण की कल्पित कथाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ पर यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि इन दोनों ही खोजों का मानवशास्त्र के अनुसार तो महत्व है, परंतु सनातन धार्मिक–आध्यात्मिक साधनाएँ इन पर पूरी तरह निर्भर नहीं हैं।

भारतीय धार्मिक ग्रंथों में विभिन्न दृष्टांत अथवा उदाहरण प्रचुर मात्रा में दिए गए हैं। यह मात्र शिक्षा प्रदान करने के लिए ही हैं। मंदिरों में हिंदू धार्मिक क्रिया–कलापों में भाग लेते हैं एवं इस प्रक्रिया का अधिकांश भाग वे अपनी संहिताबद्ध परंपरा का पालन करने में करते हैं और कुछ तो अपने धार्मिक आख्यानों के विवरण पर अति–विश्वास के आधार पर उनका उत्सव मना कर भी करते हैं। अधिकांश हिंदुओं के लिए अपनी परंपराओं में ऐतिहासिक घटनाओं को देखने का स्वरूप अत्यधिक ही लचीला है।

धर्म का निष्ठावान साधक अपने भीतर परिवर्तन लाने की स्पष्ट इच्छा के लिए इतिहास पढ़ता है तथा उसमें निहित गुणों पर बल देता है, न कि उसके वितरणात्मक तथ्यों पर। श्री राम और श्री कृष्ण भावना के मूर्तिमान अवतार हैं एवं उनकी ऐतिहासिकता का महत्व उनके द्वारा स्थापित आदर्शों व नैतिकता द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। श्री अरविंद भारतीय आख्यानों की शाश्वतता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि इन आख्यानों को भौतिक अतीत की घटनाओं के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, जैसे वृंदावन में गोपियों की लीला की संकल्पना दिव्य गोकुल में निरंतर घटित हो रही है जो वास्तव में भौतिक वृंदावन में अंतरात्मा के स्तर पर उनके अर्थ सहित अनुभव की जा सकती है। यद्यपि श्री अरविंद नें भगवान श्री कृष्ण की ऐतिहासिकता को स्वीकार किया है। परंतु यह भी स्पष्ट किया है कि इस ऐतिहासिकता पर कुछ भी निर्भर नहीं है।

इन धार्मिक विमर्शों के साथ जब यह सिद्ध होने लगा कि भारत का हिंदू धर्म प्राचीन, देशज और मानवीय मूल्यों को बढ़ाने वाला है तब इस धर्म के धार्मिक स्थलों की खोजबीन प्रारम्भ की जाने लगी। जिसके प्रतिउत्तर में यह देखा गया कि हिंदुओं के कई प्रमुख धार्मिक स्थलों का भंजन तो मध्ययुगीन भारत में इस्लामिक राजाओं द्वारा कर दिया गया। स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय समाज में यह विमर्श प्रारंभ हुआ कि हमें प्राचीन और देशज धार्मिक अभिव्यक्ति को आने वाली पीढ़ी और इतिहास में सुरक्षित रखने के लिए उसके धार्मिक स्थलों को संरक्षित रखना होगा। जिसके अंर्तगत धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार का विचार आना प्रारंभ होता है और उसी के साथ अयोध्या में भगवान श्रीराम के जनस्थान पर बने उनके मंदिर का भव्य पुनरुद्धार प्रारम्भ होता है। जिसके निर्माण की व्रतांत हमें महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस और भारत में लगभग तीन सौ भाषाओं में रचित रामायण की पुस्तकों में अध्ययन और साक्ष्य हेतु प्राप्त होती है।

धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार का यह विमर्श अयोध्या से आगे बढ़ते हुए सोलह महाजनपद में से एक भारत की अति प्राचीन नगरी काशी में अवस्थित भगवान शिव के काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनरुद्धार से व्यापक अवधारणा ग्रहण करता है। जिसका ऐतिहासिक साक्ष्य कल्हड़ की राजतरंगिणी, वराहमिहिर की वृहत संहिता, फाह्यन की बौद्ध राज्यों का एक अभिलेख और मेगस्थनीज़ की इंडिका तक में मिलता है। पुनरुद्धार की इस कड़ी में अब आगे मथुरा में सोलह कलाओं से परिपूर्ण भगवान श्रीकृष्ण की जनस्थली के सौंदर्यीकरण और विस्तारीकरण का विमर्श भी सम्मिलित हो चुका है। जिसके निर्माण का साक्ष्य सूफी संतों के कौव्वाली, ग़ज़ल आदि से लेकर मध्ययुगीन भारत में जन्में सभी भक्तिकालीन कवियों के ग्रंथों, दोहों, पद, सवैय्या आदि से प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है किंतु ऐतिहासिक साक्ष्यँ यह दर्शाता हैं कि उपरोक्त वर्णित मंदिरों की तरह यह भी मंदिर था जिसे मध्ययुगीन भारत में मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा विध्वंस करके इसके ऊपर मस्जिद का निर्माण कर दिया है। जिस वजह से धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार की कड़ी में यह स्थल पर पुनरुद्धार की न्यायिक माँग करता है।

उपर्युक्त विमर्श के सापेक्ष धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार से यह तात्पर्य है कि हम अपनी ऐतिहासिक और देशज धार्मिक विरासत को बनाए रखें। जिसके अंर्तगत परिवर्तन लाने में कठिनाई अवश्य है परंतु यह कार्य असंभव नहीं है। अंत में इस लेख का उद्देश्य केवल यह बताना है कि धार्मिक व्याखाकारों, समाज सुधारकों, नीति निर्मताओं के समक्ष धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार को लेकर

कठिन चुनौतियां हैं। केवल आशावादिता, आस्था, धैर्य और सही रणनीति ही धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार में सहायक सिद्ध हो सकती है।

♦♦♦♦♦

संदर्भ ग्रंथ

- ऑडी, जेफ़्फ़री ए (2018). परिकल्पित हिंदू धर्म. नयी दिल्लीः सेज प्रकाशन
- स्वामी, सुब्रमण्यम (2013). हिंदुत्व एवं राष्ट्रीय पुनरुत्थान. नयी दिल्लीः प्रभात प्रकाशन

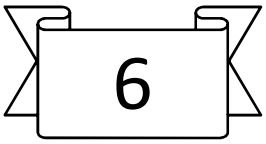

भारत में धार्मिक स्थलों का महत्वः राम मंदिर निर्माण के संदर्भ में एक अध्ययन

चंद्रिका आर्य

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारत एक विविध धर्मो वाला देश है जो विश्व भर में विभिन्न धार्मिक मान्यताओं व विश्वास के लिए जाना जाता है। भारत की आध्यात्मिक भूमि ने विभिन्न धर्मो को जन्म दिया है जिसमें मुख्यतः समाविष्ट हैं, हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म व बौद्ध धर्म। यहां पर सभी धर्मों के लोग भिन्न– भिन्न धर्मों व संस्कृतियों का पालन करते हुए सौहार्द से रहते है। जिसके कारण ही भारत अनेकता में एकता वाला देश जाना जाता है। भारत में धर्म का अर्थ केवल धार्मिक मान्यताओं तक ही सीमित नहीं है अपितु यहां पर धर्म जीवन जीने का तारिका रहा है। भारतीयों का मानना है कि धर्म उनके जीवन को एक अर्थ व उद्देश्य प्रदान करता है। धर्म के अर्थ में नैतिकता, संस्कार व जीवन दर्शन और अन्य आयाम समाविष्ट हैं।

सभी धर्मों में हिंदू धर्म भारत का सबसे बड़ा धर्म है। यहां पर हिंदू धर्म के अनुयायी सर्वाधिक संख्या में हैं जो कुल जनसंख्या का लगभग 80ः है। हिंदू धर्म में धर्म का अर्थ व्यक्ति की आत्मा से जुड़ा है। भारतीय राजनीतिक चिंतक मनु धर्मशास्त्र में धर्म को एक जटिल अवधारणा के रूप में परिभाषित करते है जिसके लिए अंग्रेज़ी का अनुवादित शब्द Religion अनुपयुक्त है। मनु के लिए धर्म वह है जो व्यक्ति, समाज और साथ ही ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखे व संचालित करे। इसी कारण हिंदू धर्मशास्त्र में धर्म को समझने के लिए अंग्रेज़ी में Righteousnèे नामक शब्द का प्रयोग किया जाता है। धर्म के अर्थ में नैतिकता का तत्व मानव जीवन के प्रत्येक क्रियाकलापों से जुड़ा है। यह केवल मानव जीवन तक ही सीमित नहीं है बल्कि समाज व राष्ट्र को व्यवस्थित रूप से संचालित करने में भी धर्म का विशेष महत्व है।

भारतीय समाज में धर्म स्थलों की भूमिका

प्रत्येक धर्म में धार्मिक मान्यताओं व परंपराओं के साथ ही धार्मिक स्थलों का विशेष महत्व होता है। जैसे हिंदू धर्म में मंदिरों का विशेष महत्व है, इस्लाम धर्म में मस्जिदों का, वहीं दूसरी ओर सिख धर्म में गुरूद्वारे का व ईसाई धर्म में गिरिजाघरों का अपना महत्व है। इतिहास में धार्मिक स्थलों की भूमिका एक ऐसे स्थान की रही है जिसमे इन धर्मो के अनुयायी सामाजिक व सांस्कृतिक बैठकों के लिए एकत्रित होते थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के आचार्य हेरम्ब चतुर्वेदी कहते है कि वैदिक काल में मूर्ति पूजा का कोई वर्णन नहीं मिलता है, वहीं दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि हिंदू धर्म में मंदिरों का विशेष महत्व रहा है परंतु उस समय मन्दिर न केवल पूजा स्थल हुआ करते थे बल्कि सामाजिक विचार विमर्श, सीखने सिखाने तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र हुआ करते थे।

वैदिक काल में ऋषि मुनि जंगल के अपने आश्रम में ध्यान साधना व यज्ञ किया करते थे। उस समय काल में लोक–जीवन में मंदिरों का उतना महत्व नहीं था जितना चिंतन मनन का था। फिर भी आम जन शिव जी, नगर, ग्राम व स्थानीय देवी देवता की आराधना करते थे। इसके पश्चात रामायण काल में मंदिरों के होने के प्रमाण मिलते हैं। मंदिरों को विशेषकर चाणक्य, बौद्ध व गुप्तकाल में भव्यता प्रदान की जाने लगी और प्राचीन मंदिरों का पुनः निर्माण किया गया।

सच्चिदानंद जोशी, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स के मेंबर सेक्रेट्री, कहते हैं कि प्राचीन काल में मंदिरों को लेकर कोई बाध्यता नहीं थी, परन्तु जब भारतीय संस्कृति पर प्रहार आरंभ हुआ तो मंदिरों के नियमों में कठोरता आई। हिंदू धर्म की तरह ही अन्य धर्मों में भी धर्म स्थलों का ऐसा ही महत्व था। प्राचीन समय में इस्लाम धर्म में मस्जिद और ईसाई धर्म में गिरिजाघर सामाजिक व धार्मिक संगम का केन्द्र थे।

रबीन्द्रनाथ टैगोर ने 1941 में कहा की धर्म का मूल वह सिदांत है जो हम सभी को सुद्वढ़ता से संगठित करके रखता हो तथा हमें कल्याण की ओर ले जाए। चूंकि भारत में धर्म मानव जीवन की प्रत्येक क्रिया से जुड़ा रहा और धर्म ही भारत की एकता का आधार रहा है, आक्रमणकारियों ने भी यह समझ लिया था कि भारत में धर्म की जड़े बहुत गहरी हैं। जब तक वह इस पर प्रहार नही करेंगे तब तक भारत पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसी कारण उन्होंने मंदिर तुड़वाना प्रारम्भ किया तथा धर्म परिवर्तन पर बल दिया।

7वीं शताब्दी से लेकर 16वी शताब्दी तक हजारों की संख्या में मंदिरों को तोड़ा गया। इनमे से कुछ ऐसे थे जो भारतीय अस्मिता और सम्मान से जुड़े थे। इन मंदिरों में मुख्यतः समाविष्ट हैं, कश्मीर घाटी के अनंतनाग जिले में स्थित सूर्य मंदिर, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के अर्ध–भाग पर कृष्ण मंदिर को तुड़वाकर ईदगाह का निर्माण। 1528 में बाबर के शासनकाल में अयोध्या में राम मंदिर तुड़वाकर बाबरी मस्जिद का निर्माण।

राम मंदिरः राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक

किसी भी देश की राष्ट्रीय अस्मिता व पहचान को सुरक्षित रखने के लिए वहां की सांस्कृतिक तथा धार्मिक धरोहर को संजोकर रखना आवश्यक है। मुगल शासनकाल में विभिन्न मंदिरों को तुड़वाना जैसे 1528 में बाबर के सेनापति द्वारा अयोध्या में राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाना भारतीय राष्ट्रीय अस्मिता व सम्मान पर आघात है। इस घटना के उत्तर में मंदिर तोड़ते वक्त 10,000 से अधिक हिंदू इसकी रक्षा में मारे गए। तब से लेकर स्वंतत्रता के बाद तक यह विवाद जारी रहा। इस संघर्ष में 1992 की घटना अहम है जब भारी भीड़ ने बाबरी मस्जिद के ढांचे को ध्वस्त कर दिया जिसके परिणामस्वरूप देश में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे जिसमे 2000 से अधिक लोग मारे गए। उसके पश्चात राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण कार्य सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन रहा।

अंत में 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित जमीन पर राम मंदिर बनाने की अनुमति दी। न्यायालय के निर्णय ने पूरे देश में हर्षोल्लास का वातावरण बना दिया। 5 शताब्दी से भी अधिक समय के संघर्ष के पश्चात् मिली इस विजय को देश भर में सत्य के विजय के रूप में मनाया गया। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राम मंदिर का भूमि पूजन के दिन पूरे भारतवर्ष में दीपोत्सव मनाया गया।

अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण केवल आस्था के केंद्र तक सीमित नहीं रहा है अपितु यह विषय देश की अस्मिता से जुड़ा रहा है। राम मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ के सह–कार्यवाह सुरेश भैया जोशी ने कहा कि देश पर अनेक आक्रमण हुए जो अपने चिन्ह छोड़ गए जिन्हें देख कर पीड़ा होती है। ऐसे में अयोध्या नगरी में राम मंदिर का निर्माण राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है।

भारतवासियों के लिए प्रभु श्री राम एक नाम नहीं है अपितु वह भारतीयों के जीवन आधार हैं। उनके नाम स्मरण व महिमा गायन से प्रत्येक जन को जीवन प्रेरणा मिलती है। सांस्कृतिक विशेषज्ञ प्रणय कुमार का मानना है कि राम भारत की आत्मा है। इसलिए राम को भारत से तथा भारत से राम को प्रथक नहीं किया जा सकता। प्रभु श्री राम का चरित्र इतना अद्भुत है कि परदे पर उनके चरित्र को अभिनीत करने वाले, उन पर लिखने वाले, उनकी कथा वाचन करने वाले भी हमारे पूजनीय तथा श्रद्धा के केंद्र बन जाते हैं। यहां पर एक प्रश्न यह उठता है कि प्रभु श्री राम को प्राणाधार मानने वाले देश भारत में रामजन्मभूमि का विवाद दशकों तक न्यायलय के अधीन क्यों रहा?

यही कारण है कि विभिन्न दलों तथा बुद्धिजीवियों को केवल राम मंदिर के निर्माण से ही नहीं अपितु राम नाम के जयघोष से ही आपत्ति है। वर्ष 2019 नवंबर में आए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से भी इन समूहों के चहरे पर उदासी छा गई। रामजन्मभूमि विवाद पर कुछ बुद्धिजीवियों का ये भी मानना था कि हमें धर्मनिरपेक्षता का पालन करते हुए किसी भी तरह के विद्रोह से बचने के लिए विवादित जमीन पर मन्दिर निर्माण के स्थान जन कल्याण के लिए किसी विद्यालय या अस्पताल का निर्माण होना चाहिए। इसका उत्तर यह है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हम देश की धार्मिक व सांस्कृतिक धरोहर को गुलाम बना कर नहीं रहने दे सकते। दत्तात्रेय होसबोले ने राम मंदिर के निर्माण पर कहा कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर राष्ट्रवाद को दबाया नहीं जा सकता। स्वतंत्रता का अर्थ केवल सत्तापरिवर्तन नहीं है अपितु सांस्कृतिक गुलामी से मुक्ति ही स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है। राम मंदिर निर्माण सांस्कृतिक परतंत्रता से मुक्ति का एक प्रतीक है। भारत में रह कर भारतीय संस्कृति पर उपहास उड़ाने वाले समूह व दलों ने ही वर्तमान पीढ़ी के हृदय में श्री राम के अस्तित्व के प्रति शंका के बीज बोए तथा उनके द्वारा ही राम चरित्र व जीवन को काल्पनिक घटना बताया जाता रहा। सदियों के संघर्ष के बाद जिसमे कई पीढ़ियों का बलिदान सम्मिलित है, राम मंदिर का निर्माण धर्म, आस्था व विश्वास की विजय के रूप में देखा जाना चाहिए।

♦♦♦♦♦

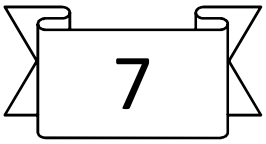

भारत में धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण एवं न्यायिक विश्लेषण

डॉ० राखी

सहायक प्राध्यापक, भारती महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में धार्मिक अस्मिता का विषय 1990 के दशक से ही राजनीतिक दलों की रूचि के कारण महत्वपूर्ण बना हुआ है। यह विषय वर्तमान समय में अलग–अलग धर्मों की अस्मिता तथा मान्यता से बढ़कर प्राचीन समय में इनकी व्यापकता एवं स्थायित्व का प्रश्न बनकर रह गया है। भारत में एक धर्म का अभ्यास करने के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को पूर्णतया मापा नहीं जा सकता है, लेकिन हमारे संविधान में जो प्रावधान है वह यह है कि हम किसी भी धर्म का अभ्यास जिस तरह से चाहते हैं, उस तरह से कर सकते हैं, जब तक कि यह सामाजिक व्यवस्था को नैतिक या राजनीतिक रूप से परेशान नहीं करे और समाज के सुचारू संचालन में बाधा नहीं डालता है। जिसका अर्थ है कि वह सामाजिक कदाचार का कोई ऐसा कार्य नहीं करता है जिससे किसी भी खतरे का कारण बन सकता है या किसी भी अनैतिक कार्य या राज्य द्वारा प्रतिबंधित कोई भी अन्य गतिविधि इसमें शामिल न हो।

भारत में राम–जन्मभूमि विषय पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात से यह धार्मिक विवाद हिंदू–मुस्लिम धार्मिक चिन्हों की मान्यता एवं मानकता को खासतौर से आधार बनाकर राजनीति को प्रभावित कर रहा है। एक हिंदू संगठन ने 1991 के कानून के प्रावधान को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जो 15 अगस्त, 1947 को मौजूद पवित्र संरचनाओं के 'धार्मिक चरित्र' को बनाए रखने के लिए मान्यता प्रदान करता है, ताकि अयोध्या में राम जन्मभूमि के अलावा, मुकदमेबाजी के माध्यम से विवादित धार्मिक स्थलों को पुनः प्राप्त किया जा सके। पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की धारा 4 के लिए याचिकाकर्ता की चुनौती, काशी और मथुरा के मामले में महत्वपूर्ण है, जहां दो मस्जिदें खड़ी हैं और इसके विपरीत कानून एक मंदिर को मस्जिद में बदलने की अनुमति नहीं देता है।

याचिका में कहा गया है कि अधिनियम ने एक अन्य धर्म के अनुयायियों द्वारा शक्ति का प्रयोग करके हिंदुओं की धार्मिक संपत्ति पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ अधिकार और उपाय पर

रोक लगा दी गई है। परिणाम यह हुआ कि हिंदू भक्त सिविल कोर्ट में कोई मुकदमा स्थापित करके अपनी शिकायत नहीं उठा सकते हैं या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के खिलाफ लागू नहीं कर सकते हैं और याचिका में कहा गया है अगर उन्होंने 15 अगस्त से पहले ऐसी संपत्ति पर अतिक्रमण किया था, तो वे हिंदू बंदोबस्ती, मंदिरों, मठों आदि के धार्मिक चरित्र को बदमाशों से वापस लाने में सक्षम नहीं होंगे। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा प्रदत हिंदुओं की पूजा के अधिकार का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 26 के तहत हिंदू समुदाय के अधिकार को दूसरे समुदाय के सदस्यों द्वारा हड़पे गए देवता से संबंधित धार्मिक संपत्तियों को बनाए रखने और प्रबंधित करने से वंचित करता है।

हालाँकि धार्मिक संस्थानों से जुड़ी धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को कानून के तहत राज्य द्वारा विनियमित किया जा सकता है, इसलिए संविधान के प्रावधानों के बीच एक संघर्ष हुआ है जहां अनुच्छेद 25 का खंड 2 राज्य को धर्म की धर्मनिरपेक्ष प्रथाओं से संबंधित मामलों को विनियमित करने का अधिकार देता है और दूसरी तरफ अनुच्छेद 26 व्यक्तियों को धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसलिए धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन के लिए प्राधिकरण में अनिश्चितता के कारण संघर्ष उत्पन्न होता है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक भूमि पर पूजा स्थलों के सभी अनाधिकृत, नए और भविष्य के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार इस आधार पर पिछली शर्तों में ढील देने के लिए तैयार थी कि स्थानीय सरकार की अनुमति नए मंदिरों, चर्चों और मस्जिदों के निर्माण के लिए पर्याप्त होगी। सभी कब्रिस्तान, मस्जिद और दरगाहों को वक्फ बोर्डों द्वारा शासित किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड राज्य और केंद्र दोनों सरकारों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। भारत में 30 वक्फ बोर्ड हैं। केंद्रीय वक्फ परिषद एक भारतीय सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना 1964 में वक्फ अधिनियम 1954 के तहत की गई थी। वक्फ धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए चल या अचल संपत्तियों का एक स्थायी समर्पण है, जैसा कि मुस्लिम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो परोपकारियों द्वारा दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु जैन जिन्होंने मस्जिदों को नष्ट करने के लिए हाल ही में कई याचिकाएं लिखी थीं का अनुमान है कि भारत भर में विवादित मस्जिदों और स्मारकों की संख्या लगभग 50 है। जैन ने कहा कि उनका 'मिशन' विवादित मस्जिदों की वैधता को चुनौती देना है क्योंकि उनका मानना है कि पूजा के कई इस्लामी घरों का निर्माण 'हिंदू मंदिरों को ध्वस्त

करके' किया गया था। दिल्ली स्थित वकील की हालिया याचिकाएं 20 वीं शताब्दी के एक प्रमुख भारतीय इतिहासकार जादुनाथ सरकार के निष्कर्षों पर आधारित हैं।

उत्तर प्रदेश की दो मस्जिदों–मथुरा की शाही ईदगाह और आगरा में जहांआरा मस्जिद (जामा मस्जिद) पर सरकार की दो टिप्पणियों ने जैन की दो याचिकाओं को बढ़ावा दिया, जहां उन्होंने मस्जिदों की वैधता को चुनौती दी। सरकार की जांच के तहत आने वाली प्रमुख मस्जिदों में से पहली शाही ईदगाह है जो कथित तौर पर 13.37 एकड़ (5.5 हेक्टेयर) भूमि पर बनाई गई थी, जहां हिंदू देवता कृष्ण, अभी तक एक पौराणिक चरित्र के रूप में, पैदा हुए थे।

सरकार ने मुगल सम्राट औरंगजेब के इतिहास का फारसी से अनुवाद किया, मासिर–ए–आलमगिरी (1707) – सम्राट की मृत्यु के तुरंत बाद रचित रचना है। सरकार ने कहा कि, ष्मथुरा में स्थित मंदिर को ध्वस्त करने के लिए आदेश जारी किए गए। जैन की याचिका में बंगाली इतिहासकार की पुस्तक के पृष्ठ के बाद एक पृष्ठ को उद्धृत किया गया था। इस विषय में जैन ने कहा कि, मैं सरकार का बहुत सम्मान करता हूं जो किसी भी धार्मिक समूह से संबद्ध नहीं हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद मामले में एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन, हिंदू महासभा इस विषय का प्रतिनिधित्व करते हैं।

1990 के दशक के उत्तरार्ध से, भारत के चुनावी परिवेश में धार्मिक सामग्री में वृद्धि देखी गई है। मथुरा की अदालत में जीपीआर आवेदन दायर किए जाने से एक सप्ताह पहले इसी तरह की याचिका में पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में जीपीआर की वकालत की गई थी, जो एक हिंदू मंदिर काशी विश्वनाथ से सटी हुई थी। यह 1991 में दायर एक मूल मुकदमे के आधार पर दायर किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि औरंगजेब ने ज्ञानवापी के निर्माण के लिए 17 वीं शताब्दी में काशी विश्वनाथ मंदिर के कुछ हिस्सों को नष्ट कर दिया था। वाराणसी कोर्ट के जज ने न सिर्फ याचिका को स्वीकार कर लिया बल्कि जीपीआर का आदेश भी दिया।

23 अक्टूबर, 2002 को, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय ने बाबरी मस्जिद पर एक जीपीआर करने का आदेश दिया, इस आदेश ने अंततः हिंदुओं को इस जमीन को सौंपने में मदद की। इस विवादास्पद निर्णय को स्पष्ट करते हुए एक नया आदेश जारी किया गया था। अब तक शर्त यह थी कि धार्मिक स्थलों के निर्माण और नवीनीकरण के लिए कलेक्टर की अनुमति ली जाए स्वाभाविक रूप से, परिवर्तन का विभिन्न धार्मिक संस्थानों, संगठनों और राजनेताओं द्वारा

गर्मजोशी से स्वागत किया गया था वे यह सोचकर खुश हो सकते हैं कि वे कलेक्टर की अनुमति की प्रतीक्षा किए बिना अपने कब्जे में स्थानीय निकायों को आसानी से प्रभावित कर सकते हैं।

निष्कर्ष

भारत में धार्मिक पूजास्थलों का निर्माण वर्तमान में धार्मिक अस्मिता को प्रभावित करने हेतु महत्वपूर्ण बना हुआ है भारतीय राज्य जो अपने धार्मिक सद्भाव के लिए जाना जाता है, समय के साथ पूजा के स्थानों के प्रसार से ग्रस्त हो सकता है यह इस बात का संकेत होना चाहिए कि सरकार ने इस मुद्दे पर नियमों को कड़ा करने वाले नए आदेश को भी मान्यता दे दी है सरकार विशेष रूप से चेतावनी देती है कि अनुमति देने के लिए जिम्मेदार लोगों को असफल होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। प्रत्येक धर्म, संप्रदाय या संगठन अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने के लिए स्वतंत्र है और श्धार्मिक प्रकृति के मामलोंश तक ही सीमित है। राज्य इसके अभ्यास में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, जब तक कि वे सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य या नैतिकता के विपरीत नहीं चलते हैं।

यह सुझाव दिया जाता है कि देश में मौजूदा सांप्रदायिक सद्भाव और शांति को कमजोर करने वाले निर्माणों को किसी भी परिस्थिति में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। निर्माण के लिए अनुमति देने से पहले इसका अनुमान लगाया जाना चाहिए यदि विवाद उत्पन्न होते हैं, तो निर्माण को हल होने के बाद ही जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। मौजूदा पूजा स्थलों के नवीकरण के लिए संबंधित प्राधिकारियों से पूर्व अनुमति भी अनिवार्य है। पूर्व अनुमति के मुद्दे पर एक उदार दृष्टिकोण अपनाने की प्रथा है, क्योंकि यह पूजा स्थलों का मामला है और आमतौर पर किसी की भी आपत्ति के साथ आगे आने की सुविधा नहीं है।

♦♦♦♦♦

संदर्भ सूची

- https://www.nationalheraldindia.com/amp/story/india/hindu-body-moves-supreme-court-on-1991-law-on-religious-sites
- https://keralakaumudi.com/en/news/news.php?id=494924&u=editorial-494924
- https://architexturez.net/pst/az-cf-186490-1524373464
- https://www.trtworld.com/magazine/after-babri-masjid-india-s-far-right-seeks-to-raze-several-other-mosques-47518/amp

8

धार्मिक स्थलों का भारतीय परंपरा में महत्व

विकास यादव

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारतीय भूमि सदैव से ही एक धर्म, अध्यात्म, दर्शन, ज्ञान एवं बुद्धि की भूमि रही है। भारतीय परंपरा में देखा जाए तो धर्म हमेशा से ही लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहा है, इसलिए इतिहास इस बात का प्रमाण है कि भारतीय संस्कृति सदियों से विकसित हुई है। उदाहरणस्वरूप, भारतीय सभ्यता की संस्कृति मूलतः हड़प्पा सभ्यता से निकलती है और आज भी भारतीय उपमहादीप में रहने वाले लोगों को जीवन जीने का एक तरीका प्रदान करती है। यहाँ यह भी जानना आवश्यक है कि व्यापक भारतीय सांस्कृतिक अर्थ में धर्म केन्द्रीय स्थान पाता है जहां पूरे सामाजिक ढांचे को धर्म के ताने–बाने से बुना गया है। जो ना केवल व्यक्तियों को अपितु समाज व भारत के सभ्यतागत इतिहास को ताकत और स्थिरिता प्रदान करने वाला स्तम्भ के रूप में देखा जाता है। इसलिए भारतीय परंपरा में धर्म और धार्मिकता, धार्मिक स्थानों और उनको इतिहास को समझना आवश्यक है जो भारत के सभ्यतागत इतिहास में अद्वैत स्थान रखता है।

धर्म विचारों, विश्वासों, सांस्कृतिक धरोहरों और एक विश्व दृष्टि का एक संगठित संग्रह है, जो मानवता आध्यात्मिकता और ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ अंतरसंबंधों को स्थापित करने का महत्वपूर्ण साधन है। जब किसी के जीवन के सामाजिक पहलुओं में धर्म एवं उसके महत्व का स्थान देखा जाए तो यह प्रतीत होता है कि धर्म आवश्यक जीवन जीने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। धर्म के माध्यम से व्यक्ति शांति, विश्वास एवं सद्भाव के साथ रहने के लिए स्वयं को सार्वभौमिक आत्मा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। इसलिए हम यह देख सकते हैं कि प्राचीन समय के अवधि से ही विश्व के विभिन्न धर्मों ने स्वयं को पृथक–पृथक विश्वासों और पूजा की पद्धतियों और समय एवं स्थान के साथ उनके समग्र अनुप्रयोगों के साथ संबंध स्थापित किया।

परिणामस्वरूप, समय के साथ विभिन्न धर्मों के अनुयायियों ने अपने–अपने धर्मों की शिक्षाओं एवं सिद्धांतों से गहराई से जुड़ता जीवन में एक अद्वितीय स्थान बनाने में सफल रहे। इतनी व्यापक धार्मिक विलीनता ने अलग पहचान और सांस्कृतिक प्रणालियों के निर्माण की भी अनुमति दी।

आस्था के इस तरह की अभिव्यक्ति में मूर्तियों, प्रतीकों, पूजा स्थलों, कला, शिल्पकला, वास्तुकला एवं इस प्रकार के अन्य रूपों में अपनी अभिव्यक्ति पाई। इसलिए, धार्मिक स्थलों तथा विश्वासों का पुनरुद्धार, संरक्षण एवं रखरखाव भारतीय सभ्यता के धरोहर को बचाए रखने में महत्वपूर्ण हो जाता है।

इसलिए भारतीय परंपरा को यदि देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि कैसे हड़प्पा के प्राचीन सभ्यता को धार्मिक पहचानों को व्यवस्थित करने के एक संगठित तरीके का प्रवर्तक कहा जाता है। यद्यपि, उस समय आधुनिक अर्थों में कोई धर्म नहीं था परंतु हड़प्पा के लोग कुछ अनुष्ठानों का पालन करते थे और प्रकृति की पूजा करते थे। उदाहरणतः पेड़ों की पूजा एवं पशु–पक्षियों इत्यादि की पूजा करना। मोहनजोदड़ों में उस समय लोग 'महा स्नान' को एक महत्वपूर्ण पहचान के रूप में उपयोग करते हुए शायद धार्मिक उद्देश्यों का निर्वहन करते थे। इसके पश्चात यदि हम वैदिक समय में भारतीय परंपरा को देखें तो इस समय एक स्थिर सामाजिक व्यवस्था के निर्माण पर बल देना आरंभ हुआ। जिसके मूल में धर्म एवं उससे संबंधित गतिविधियां थी।

उत्तर–वैदिक काल के समय धर्म एवं उससे संबंधित संरचनाएं अत्यधिक प्रभावशाली दृष्टिगोचर हुई और महाजनपदों का एक अभिन्न अंग बन गई। उदाहरण के लिए देखा जा सकता है कि मौर्य साम्राज्य ने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीविका पर बल दिया तथा इसी के परिणामस्वरूप राज्य ने भी बढ़ावा देने के लिए शाही संरक्षण प्रदान किया। इस समय धार्मिक स्थलों से संबंधित गुफा–वास्तुकला को भी एक बड़ा समर्थन प्राप्त हुआ, जहां भिक्षु अपनी धार्मिक गतिविधियों का निर्वहन कर सके। इस प्रकार सदियों से कई स्तूपों, धार्मिक स्थलों, बसदी आदि का निर्माण हुआ जिनका महत्व काफी हद तक एक स्थिर सामाजिक–धार्मिक वातावरण को बढ़ावा देने के लिए था। जहां ज्ञान एवं बुद्धि से निर्देशित धार्मिक प्रवचनों को भविष्य के लिए विकसित एवं संरक्षित किया जा सके।

इसके पश्चात गुप्ता साम्राज्य का समय देखा जाए तो उस काल में भी मंदिरों (सनातन धर्म),स्तूपों इत्यादि संरचनाओं के निर्माण को देखा जा सकता है। उदाहरणतः, मंदिरों को एक ऐसी संरचना के रूप में देखा गया जहां विचारों (साहित्य एवं संगीत इत्यादि), रीति रिवाजों, परंपराओं इत्यादि को बढ़ावा दिया जाता था जो कि ज्ञान के अनुप्रयोग के माध्यम से तर्क, दर्शन, विज्ञान एवं नैतिकता द्वारा निर्देशित था जिसका मूल उद्देश्य एक प्रगतिशील एवं स्थिर समाज का विकास करना था जहां सद्भाव की भावना व्याप्त हो।

दक्षिण भारत के चेरा–चोला एवं पाण्ड्य शासन के समय में भी यह देखा जा सकता है कि उस समय अत्यधिक सजावटी मंदिरों का विकास हुआ जो वर्तमान में भी अधिक महत्व रखते हैं। उदाहरण के लिए मीनाक्षी मंदिर वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मदिर एवं उससे संबंधित संरचनाएं एक ऐसे स्थान के रूप में धीरे–धीरे ऐसे परिवर्तित हुए की वो सामाजिक कार्य और सभाओं का भी केंद्र बने। जैसे कि विजय नगर साम्राज्य के समय 'कल्याण मंडपों' का बनना जो कि विवाह एवं अन्य सामाजिक रीतियों के लिए महत्वपूर्ण स्थान बने। इस प्रकार मंदिर समय के अनुसार सामाजिक क्रियाकलापों का केंद्र बन गए।

मध्ययुगीन काल के समय में भी कई धार्मिक संरचनाओं का निर्माण हुआ। उदाहरण के लिए सूफी–संत मोइनूद्दीन चिश्ती का मकबरा धार्मिक बिरादरी का प्रतीक है जो सभी धर्मों के लोगों को आकर्षित करते हैं चाहे वह व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली या सामान्य हो। इसलिए हम भारत में पूर्तगालियों, अंग्रेजों एवं अन्य यूरोपीय शक्तियों के समय को भी देखें तो उनके द्वारा बनाए गए संरचनाओं का भी धार्मिक उद्देश्य कहीं ना कहीं नजर आता है।

इसलिए जब हम धार्मिक संरचाओं के योगदान के विषय में बात करें तो उनके राजनीतिक एवं सामाजिक प्रभाव का विश्लेषण भी विभिन्न समय एवं संदर्भ में जानना आवश्यक है कि वो किस लिए बनाए गए। उदाहरणतः, यह भी महत्वपूर्ण है कि कैसे इतिहास में एक धर्म की दूसरे धर्म पर विजय को चिन्हित करने के लिए भी कुछ संरचनाएं स्थापित की गई जैसे कि कुतुबमीनार को आरंभ में विजय के चिन्ह के रूप में स्थापित किया गया था। इसके साथ यह भी देखा जा सकता है कि कैसे धार्मिक शांति एवं उदय को चिन्हित करने के लिए अन्य संरचाओं का भी निर्माण हुआ जैसे कि सूफी–सतों के विभिन्न मकबरों का निर्माण किया गया।

इसी स्वरूप समकालीन भारत में यदि देखा जाए तो कुछ महत्वपूर्ण संरचनाएं, धार्मिक स्थलों ने एक अलग चुनौती समाज एवं राज्य के लिए उत्पन्न की है। उदाहरणतः बाबरी मस्जिद एवं राम मंदिर विवाद समकालीन भारत में देखा जा सकता हो। इसलिए भारतीय परंपरा में धार्मिक स्थलों का महत्वपूर्ण स्थान है जहां धार्मिक स्थान एक संरचना के रूप में कार्य करते हैं जहां व्यक्ति धर्म के मध्यम से सार्वभौमिक आत्मा से बेहतर तरीके से जुड़ने का प्रयास करता है। वह शांति, ज्ञान, दर्शन, आध्यात्मिकता इत्यादि से अपने जीवन को सफल एवं सार्थक बनाने एवं भारतीय परंपरा में समाहित मूल्यों एवं गुणों का अनुसरण करने का प्रयास करता है इसलिए भारतीय परंपरा में धार्मिक स्थलों की भूमिका को समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण माना जाता है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति एवं समाज के जीवन में धर्म एवं धार्मिक स्थलों का अत्यधिक महत्व रहता है। भारतीय परंपरा के अनुसार धर्म एवं धार्मिक स्थान विवेकपूर्ण आचरण की ओर व्यक्ति, समाज और राज्य को मार्गदर्शन करता है इसलिए धर्म एवं धार्मिक स्थलों में भारतीय परंपरा का अत्यधिक महत्व है। भारतीय परंपरा एवं संस्कृति विविध है जो कि सभी धर्मों का सम्मान करती है एवं शांति व एकता को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि हमारी सभ्यता, परंपरा एवं मूल्य प्रणालियों को सजो कर रखना अति आवश्यक है एवं हमारी जीवंत सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा एवं संरक्षित करना महत्वपूर्ण है।

♦♦♦♦♦

संदर्भ सूची

- Revival and restoration of religious places. (2021, September 15). https://www.dailyexcelsior.com/revival-and-restoration-of-religious-places/
- Fred, W. Clothey. (2006). Religion in India: A Historical Introduction. New York: Routledge.
- Kenneth, Pletcher. (2011). Understanding India: The Geography of India Sacred and Historic Places. New York: Britannica Educational Publishing.

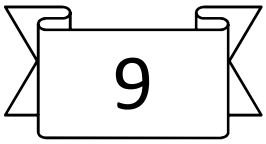

धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहरः संरक्षण एवं परिरक्षण

जया ओझा

पीएचडी शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारत का लिखित इतिहास पाँच हजार वर्षों से भी अधिक प्रचीन माना जाता है। इतने वर्षों में ना जाने कितने साम्राज्य एवं शासक स्थापित हुए, जिनकी गणना कर पाना असंभव है। संपूर्ण भारत वर्ष के प्रत्येक भाग में शासन करने वाले शासक (राजा, सम्राट, शहंशाह इत्यादि) विभिन्न धर्मों के अनुयायी थे, जिसमें कुछ यूनान से आए तथा कुछ एशिया के अन्य भागों में उत्पन्न हुए। इसमें से कुछ ऐसे शासक भी रहे जिनका अपना कोई धर्म नहीं था परिणामस्वरूप उनके द्वारा भारतीय धर्मों एवं संस्कृतियों को विशेषकर हिन्दू एवं बौद्ध धर्म को अपना लिया गया। यदि मध्यकाल में देखें तो हम पाते हैं कि जिन आक्रमणकारी योद्धाओं का आगमन भारत में हुआ उनका अपना एक सुव्यवस्थित एवं संगठित धर्म इस्लाम था। जिसका पालन सभी आक्रमणकारी योद्धाओं ने किया। जिसने भारत को अधिक क्षति पहुँचाने का कार्य किया। जिस प्रकार भारत वर्ष में साम्राज्य व शासकों का प्रचलन व विघटन हुआ ठीक उसी प्रकार उनके धर्मों का भी विस्तार व विघटन हुआ।

प्रायः यह देखा गया कि भारत में कोई भी शासक आया उसने सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति को ही अपना हथियार बनाया। किसी शासक द्वारा भारतीय संस्कृति को विकृत किया तो वहीं कुछ शासकों द्वारा इसको बढ़ाया गया। इसी संदर्भ में डी एन झा अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि कई ऐसे सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थल थे जिनको विभिन्न शासकों द्वारा नष्ट किया गया। इनका मानना है कि एक लंबे समय तक भारतीय उपमहाद्वीप में बौद्ध शासकों का शासन रहा, इस समय ना केवल भारत में अपितु भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी बौद्ध विहारों एवं बुद्ध की प्रतिमाओं को निर्मित किया गया। परंतु बौद्ध धार्मिक स्थलों एवं सांस्कृतिक स्थलों को हिन्दू धर्मनुयायी राजाओं द्वारा नष्ट कर दिया गया। इसके कारण हम देखते हैं कि कुछ शताब्दी पश्चात् आते–आते मंदिर धार्मिक आस्था के नहीं अपितु राजा के गौरव व सम्मान का प्रतीक बन गया जिन्हें तोड़कर राजा अपनी श्रेष्ठता को प्रदर्शित कर रहे थे।

पल्लव वंश, चालुक्य वंश, तथा चोल वंश के राजाओं द्वारा ऐसा अतिक्रमण अधिक किया गया। पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन के द्वारा विभिन्न मंदिरों को ध्वस्त करके वहाँ का सोना लूटा गया। इसके साथ ही चालुक्य राज्य की राजधानी वातापी पर विजय भी प्राप्त किया गया। पचास वर्ष बाद चालूकयों द्वारा भी उत्तरी भारत पर आक्रमण कर गंगा एवं यमुना की मूर्ति को अधिग्रहण कर लिया गया। चोल वंश के राजा राजेन्द्र ने ग्यारहवीं सदी में बहुत राज्यों की मूर्तियों को अपने राज्य में ले आकार स्थापित कर लिया था।

जब इस्लाम आक्रमणकारियों का भारत में आगमन हुआ तब उनके द्वारा अपने आर्थिक स्थिति को सशक्त करने के लिए मंदिरों को तोड़ा जाने लगा तथा उनको लूटा जाने लगा। अधिकतर उनमें वह मंदिर सम्मिलित थी जो धन से परिपूर्ण थी। उदाहरणार्थ सोमनाथ मंदिर को 1024 में मुहम्मद गजनवी ने लूटा क्योंकि यह मंदिर स्वर्ण से परिपूर्ण थी। मुगलकाल व औरंगजेब के शासन काल में भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जो यह बताते हैं कि इस्लाम आक्रमणकारियों द्वारा भारतीय सभ्यता व संस्कृति का किस प्रकार से विनाश किया गया। इसको लेकर इतिहासकार हरबंश मुखिया का मानना है कि काशी, मथुरा का मंदिर औरंगजेब द्वारा ही तोड़ा गया था, वो उसके आदेश से ही टूटा था। औरंगजेब ने ऐसे पता नहीं कितने मंदिरों व मठों को दान में दे दिया। एक ओर वह मंदिरों को तोड़ रहा था, तो दूसरी ओर मंदिरों एवं मठों को दान में भुमि व धन भी दे रहा था।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में धार्मिक स्थलों एवं सांस्कृतिक धरोहरों को तोड़ने व उखाड़ने की परंपरा प्रचीन रही। इतना ही नहीं उस जगह पर नए धार्मिक–सांस्कृतिक स्थलों की निर्मिती भी इस परंपरा में व्याप्त रहा। यह क्रम आज तक भारतीय परंपरा में तब तक चलता रहा जब तक ब्रिटिश शासकों का आगमन नहीं हुआ था। ब्रिटिश सत्ता के स्थापना ने एक आधुनिकता व पुनर्जागरण जैसे शब्दों से भारतीयों को परिचित कराया। ऐतिहासिक धार्मिक–सांस्कृतिक स्थलों के संदर्भ में ब्रिटिश शासकों की दृष्टि पूर्णतः आधुनिक थी। ब्रिटिश पुरातत्वविदों ने भारतीय संस्कृति व सभ्यता को समझने का प्रयास किया। इनके द्वारा ना केवल धार्मिक–सांस्कृतिक स्थलों की खोज की गई, अपितु उसके परिरक्षण एवं संरक्षण की व्यवस्था भी गई।

सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर ऐतिहासिक मंदिरों की खोज व मध्यकालीन भारतीय सभ्यता को जानने का प्रयास ब्रिटिशों द्वारा ही किया गया। ऐसा माना गया कि ऐतिहासिक धार्मिक–सांस्कृतिक स्थलों को लेकर एक आधुनिक दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाएगा। वर्तमान में भी भारत

अपने अतीत में गए कृत्यों से उभर नहीं पाया है उसी का परिणाम है कि आज तक भारत में विभिन्न–स्थानों पर खुदाई के समय या निरिक्षण के समय अनेक धार्मिक अवशेष मिलते रहते हैं । मध्यकालीन समय में इस्लामियों द्वारा जो भी बर्बर कृत्य किए गए जैसे मदिरों को नष्ट करके मस्जिदों का निर्माण किया गया, भारतीय धर्म व संस्कृति को समाप्त करने का प्रयास किया गया, वर्तमान भारत में इन सभी विषयों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अमृत्य सेन का मानना है कि आधुनिक भारतीय संस्कृति इसकी ऐतिहासिक परंपराओं का जटिल सम्मिश्रण है, जिस पर शताब्दियों से शासन करने वाले औपनिवेशिक शासन तथा वर्तमान पश्चिमी सभ्यता का व्यापक प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति व इसके धार्मिक स्थल अपने आप में अनूठे हैं जिसका प्रयोग सभी शासन काल में किया गया। परंतु वर्तमान समय में भारतीय धरोहरों को संरक्षित व संवर्धित करने की आवश्यकता है।

भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पाँच हजार वर्षों से भी अधिक प्रचीन संस्कृति एवं सभ्यता से चली आ रही है इसको ए एल भाषम 'भारत की सांस्कृतिक विरासत' नामक अपनी पुस्तक में भी कहते हैं। इनका मानना है कि 'यद्यपि सभ्यता के चार मुख्य उद्‌गम होते हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रस्थान करने वाले चीन, भारत तथा भू–मध्य रेखा विशेषतः ग्रीक एवं इटली है, परंतु भारत अधिक श्रेय का अधिकारी है क्योंकि इसने एशिया के धार्मिक जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। भारत की धार्मिक संस्कृति ने विश्व के अन्य भागों में भी अपना छाप छोड़ा है इसको भुलाया नहीं जा सकता इसलिए इसकी धार्मिक संस्कृति को परिरक्षित एवं संरक्षित करने की अत्यधिक आवश्यकता है ।

♦♦♦♦♦

संदर्भ–सूची

- डी. एन. झा. (2018). हिन्दू पहचान की खोज. पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस. पृ. 34.
- विनीत, खरे. (2022). ज्ञानवापी विवादः ये मस्जिद कभी मंदिर था. बी बी सी न्यूज़.
- ए. एल. बाशम.(1997).अ कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया. ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन.

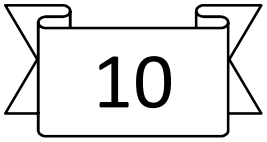

10

हिन्दू धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धारः एक आध्यात्मिक आवश्यकता

सृष्टि
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी सांस्कृतिक, प्राकृतिक व ऐतिहासिक विरासत से होती है। पूर्वजों की विरासत तथा राष्ट्र की विरासत एक राष्ट्र के लोगों को अद्वितीय बनाती है। इसे अन्य देशों से भिन्न बनाती है। ऐसे में आवश्यक है कि विरासत की रक्षा व सुरक्षा तथा पुनरुद्धार किया जाए। उन्हें संवर्धित, संरक्षित व सुरक्षित किया जाना चाहिए।

सांस्कृतिक, ऐतिहासिक व प्राकृतिक विरासत की बात करें तो भारत को एक विशेष वरदान प्राप्त है। हमारे देश में उत्तर से दक्षिण व पूरब से पश्चिम् अर्थात् चारों दिशाओं में इस रूप के सांस्कृतिक, प्राकृतिक व ऐतिहासिक रंग बिखरे हुए है, परंतु यदि कुछ कमी है तो देश की सरकारों में, उनकी नीतियों व कार्य–नीतियों में तथा उनके लक्ष्यों में। जिसके कारण पूर्वजों की अस्मिता मिटती रही है। अतीत में सरकारों ने आध्यात्मिक विरासत की ओर इतना ध्यान नहीं दिया है।

भारत ने इतिहास में अनगिनत आक्रमणों का सामना किया है, मंदिरों को तोड़ा गया तथा आध्यात्मिकता के केंद्रों को निम्न स्तर पर उतारने का प्रयास किया गया। पूर्व में भारत के हिन्दू राजाओं, महारजाओं व सम्राटों ने इसका जीर्णोंद्धार करवाया था। परंतु स्वतंत्रता के पश्चात सरकारों ने इन स्थानों को अछूत बना दिया। मुस्लिम आक्रमणकारियों तथा मध्यकालीन धार्मिक कट्टरपंथी शासकों द्वारा वृहत स्तर पर मंदिर विध्वंस को छिपाने का प्रयास किया गया था। भारत के छद्म–धर्मनिरपेक्षों ने इतिहास को उतना ही दबाने का प्रयास किया है। परंतु आज के समय में वातावरण परिवर्तित हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल लिया, उन्होंने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, अतीत की वाहक विरासत व आस्था के प्रतीकों को पुर्नस्थापित करना प्रारंभ कर दिया है।

पूर्व की सरकारों ने मंदिर के पुनरुद्धार के लिए प्रयास नहीं किए, परंतु आज के समय भारतीय संस्कृति, सभ्यता तथा विरासत का ध्वज लहरा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय संस्कृति, परंपरा तथा मूल्यों की सुरक्षा के लिए अडिग है। कश्मीर में धारा 370 हटने के पश्चात से

समाप्त हो चुके हिन्दू मंदिरों के जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ हुआ। सरकारी अभिलेख के अनुसार कश्मीर मे लगभग 1842 हिन्दू धार्मिक स्थल है। जिसमें 952 मंदिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना देश के मंदिरों के पुनरुद्धार की ही नहीं अपितु विदेशों में जीर्ण–शीर्ण पड़े प्राचीन मंदिरों के कल्याण पर भी कार्य हो रहा है।

अयोध्या मंदिर– 70 वर्ष से अधिक समय से चल रहे श्री राम जन्मभूमि विषय में 9 नवंबर 2019 को उच्चतम न्यायालय ने हिंदुओं के पक्ष में निर्णय सुनाया जिसके पश्चात् हिन्दू समाज का पाँच शताब्दियों प्राचीन स्वप्न पूर्ण हुआ। इसकी आधारशिला स्वयं प्रधानमंत्री ने अगस्त 2020 में रखी थी।

काशी विश्वनाथ कॉरिडोर

काशी विश्वनाथ मंदिर, अपनी दिव्यता के साथ–साथ, भीड़भाड़ व गंदी सड़कों के लिए भी जाना जाता था। महात्मा गांधी ने 4 फरवरी 1916 को बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के लिए काशी का दौरा करते हुए इसके बारे में विचार–विमर्श किया। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात्, उन्होंने काशी के आधारभूत संरचना पर कार्य करना आरंभ किया। 8 मार्च 2019 प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना का शुभारंभ किया।

जब परियोजना की कल्पना की गई थी, तो मंदिर परिसर के चारों ओर की संरचना को देखते हुए इसे असंभव माना गया था। इस विचार पर ध्यान दिया गया कि उपस्थित विरासत संरचनाओं को संरक्षित करना, मंदिर परिसर में नई सुविधाएं प्रदान करना, मदिर के आस–पास लोगों की आवजाही को सरल बनाना था। प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान गंगा नदी व काशी विश्वनाथ मंदिर के मध्य एक सहज संबंध स्थापित करने पर था जिससे कि तीर्थयात्रियों के लिए गंगाजल को चढ़ाने के लिए नदी से स्नान करना और जल ले जाना सरल हो। मंदिर के चारों ओर की इमारतों के विध्वंस से कम से कम 40 प्राचीन मंदिरों का पुनरुद्धार किया गया। दिसंबर 2019 में प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया।

सोमनाथ मंदिर परिसर

गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, नरेंद्र मोदी ने मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण कर उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं व परियोजनाओं को आरंभ किया। इसके साथ ही सोमनाथ मंदिर परिसर में एक प्रदर्शनी केंद्र का उद्घाटन किया। तथा इसमें ओर

सुधार लाने के लिए श्री सोमनाथ ट्रस्ट सोमनाथ मंदिर की महिमा को बनाए रखने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है।

केदारनाथ धाम

मोदी सरकार ने केदारनाथ धाम का पुनर्विकास किया, जिसने 2013 की बाढ़ में व्यापक विनाश देखा था। मात्र मंदिर परिसर को पुनः तैयार किया गया अपितु पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया गया। साथ ही मंदिर को उसके पूर्ण वैभव को प्राप्त करने के लिए नए परिसर को जोड़ा गया।

चार धाम योजना

मोदी सरकार ने यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ व बद्रीनाथ के चार तीर्थ–स्थलों को जोड़ने वाले एक आधुनिक व विस्तृत चार धाम परियोजना प्रारंभ की। यह योजना देश भर से इन चार पवित्र स्थानों पर जाने वाले तीर्थ–यात्रियों के लिए अनुकूल व सरल पहुँच प्रदान करेगी। सड़क नेटवर्क के समानांतर, एक शीघ्र गति वाली रेलवे लाइन पर भी कार्य चल रहा है जो पवित्र शहर ऋषिकेश को कर्णप्रयोग से जोड़ेगी, जिसके 2025 तक आरंभ होने की संभावना है।

विदेशों मे भी मंदिरों को पुनर्जीवित करने का प्रयास

मंदिर निर्माण के प्रयास मात्र भारत तक ही नहीं है अपितु विदेशों मे भी मंदिरों के विकास व पुनर्विकास मे प्रधनमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहायता की है। 2019 में बहरीन में 200 वर्ष प्राचीन भगवान श्री कृष्ण श्रीनाथजी मंदिर की +4.2 मिलियन पुनर्विकास परियोजना आरंभ की। इसके अतिरिक्त, 2018 में भी धाबी में प्रथम हिन्दू मंदिर की आधारशिला रखी।

कश्मीर में मंदिर का जीर्णोद्धार

जब से अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया व जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। सरकार ने श्रीनगर, कस्मिर में विभिन्न धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार पर कार्य प्रारंभ कर दिया है। उपलब्ध अनुमानों के अनुसार, कश्मीर में कुल 1,842 हिन्दू पूजा स्थल है जिनमें मंदिर, पवित्र झरने, गुफाएं व पेड़ सम्मिलित है। 952 मंदिरों में 212 चल रहे है जबकि 740 जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है। यह परियोजना अभी भी अपनी प्रारम्भिक अवस्था में है, परंतु फिर भी यह एक साहसिक पहल है।

काशी विश्वनाथ मंदिर व ज्ञानवापी मस्जिद विवाद

ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर दशकों पुराना यह विवाद पुनः विचार में आया है जब पाँच हिन्दू महिलाओं ने गत वर्ष न्यायालय में कहा कि उन्हें मस्जिद परिसर मे उपस्थित शृंगार गौरी व अन्य देवी–देवताओं की प्रतिमाओं की पूजा करने की अनुमति प्रदान की जाए। निचले न्यायालय ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मस्जिद परिसर का वीडियो सर्वेक्षण करने का आदेश दिया। हिन्दू पक्ष ने दृढ़ता से कहा है कि मंदिर परिसर में शिवलिंग मिला है जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है शिवलिंग नहीं फव्वारा है। भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिन्दू परिषद व हिन्दू स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में राम–मंदिर निर्माण के दौरान ही वाराणसी में काशी विश्वनाथ से सटे ज्ञानवापी व मथुरा में श्रीकृष्ण भूमि से सटे साही ईदगाह मस्जिद का विषय उठाया था। उनका मानना है कि मस्जिद हिन्दू मंदिरों को ध्वस्त करने के पश्चात बनाई गई है। इस प्रकार यह अभी विवाद का विषय बना हुआ है।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारत का आध्यात्मिक जागरण तभी हो सकता है जब उसके धार्मिक व दैवीय स्थानों को उनके प्राचीन वैभव का पुनरुद्धार किया जाए। इसलिए एक क्षेत्र में उनके सभी प्रयास हमारे स्थापित, धार्मिक, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक केंद्रों का पुनरुद्धार करने पर केंद्रित है। पिछले कुछ वर्षों से देश भर में हमारे प्रसिद्ध तीर्थ–स्थलों व पवित्र स्थलों के मंदिर पुनर्निर्माण के लिए एक अभियान प्रारंभ हुआ है। वह पवित्र हिन्दू तीर्थ–स्थलों पर चल रहे सभी मंदिर पुनर्निर्माण प्रयासों की अध्यक्षता प्रधनमंत्री नरेंद्र मोदी करते है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में आधुनिक भारतीय राष्ट्र को उसकी आध्यात्मिक नींव के समीप लाया जा रहा है।

अतः मंदिरों का पुनरुद्धार हिन्दू नागरिकों के लिए आवश्यक है, जिससे हिंदुओं का आत्मविश्वास बहाल होगा व भारतीय संस्कृति तथा राष्ट्र के पुनरुत्थान का मार्ग प्रशस्त होगा।

♦♦♦♦♦

11

कश्मीरी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मार्तण्ड सूर्य मंदिर का इतिहास

काजल

पीएचडी शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

वर्तमान भारतीय समाज व राजनीति में पुनः धर्म और आस्था का विषय तीव्रता की ओर जा रहा है, किन्तु इस बार विषय धार्मिक स्थलों के पुनरुत्थान का है। भारत यधपि एक हिन्दू बहुल देश रहा है, जिसने "वसुधैव कुटुंबकम" व "सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय" की दृष्टि से विश्व के विभिन्न भागों से आए व्यक्तियों को अपनाया है और उनका स्वागत किया है। किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से व तथ्यात्मक रूप से यह स्पष्ट है कि मुगल आक्रमणकर्ताओं द्वारा धार्मिक विस्तार के उद्देश्य से सम्पूर्ण भारत में विभिन्न मंदिरों को खंडित कर उनके स्थान पर मस्जिदों के निर्माण का कार्य किया गया है।

उन सभी खंडित मंदिरों में से एक मंदिर के विषय में चर्चा करना इस लेख का मुख्य उद्देश्य है। यह लेख मुख्यतः मार्तंड सूर्य मंदिर के विषय में है। यह कश्मीर में श्रीनगर के पास अनंतनाग में स्थित है। यह कश्मीर के सबसे प्रसिद्ध प्राचीन मंदिरों मे से एक है। यह लेख कुछ मुख्य प्रश्नों पर विचार–विर्मश करता है जैसे मार्तण्ड सूर्य मंदिर को किसने खंडित किया? कश्मीर में ऐसे और कितने मंदिर हैं जिनको नष्ट किया गया? एक हिंदू कश्मीर एक इस्लामी क्षेत्र कैसे बन गया? और क्या आस्था की दृष्टि से इसमे कोई कानूनी कार्यवाही की गई हैं?

मंदिर व कश्मीरी हिंदुओं की आस्था

वर्तमान में, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी हिंदुओं ने 200 से अधिक हिन्दू मंदिरों की बहाली का अनुरोध सरकार से किया है, जिन्हे इस्लामिक आतंकवादियों ने 1990 के दशक में समुदाय के विरुद्ध लक्षित हिंसा के दौरान नष्ट कर दिया था। घाटी में हुई हिंसा के दौरान नष्ट किए गए मंदिर अभी भी गैर–कार्यात्मक हैं, जो एक गंभीर, क्षतिग्रस्त स्थिति में हैं। 2012 में उमर अब्दुल्ला सरकार ने राज्य विधानसभा में बताया था कि कश्मीर घाटी में बीते वर्षों में 438 से अधिक मंदिरों को नष्ट किया गया है। केवल श्रीनगर में 57 मंदिरों को नष्ट किया़ गया और अनंतनाग जिले में भी 56 मंदिरों को हानि पहुंचाई गई है।

हिंसा के दौरान, कई मंदिरों को जला दिया गया, देवताओं को अपवित्र किया गया और मूर्तियों को तोड़ा गया।

स्वतंत्रता पश्चात् कश्मीर में नष्ट किए गए हिन्दू मंदिरों की संख्या

वर्ष	जिला	नष्ट हुए मंदिरों की संख्या
1986	श्रीनगर	08
	पुलवामा	02
	बारामुला	05
	बडगाम	03
	अनंतनाग	28
1988	श्रीनगर	04
	बारामुला	02
	पुलवामा	02
	अनंतनाग	01
	डोडा	01
1989	श्रीनगर	04
	पुलवामा	01
	बडगाम	02
	डोडा	05
1990	श्रीनगर	05
	अनंतनाग	01
	बारामुला	01
	कुपवाड़ा	01
1991	श्रीनगर	02
	अनंतनाग	03

1992	अनंतनाग	11
	श्रीनगर	06
	बारामुला	04
	कुपवाड़ा	01

उपरोक्त संख्या पर यदि विस्तार से विचार–विर्मश किया जाए 1986 में नष्ट किए गए मंदिरों पर पथराव किए गए, मूर्तियों को तोड़ा गया व मंदिर जलाए गए। 1988 में तोड़–फोड़ के अतिरिक्त, लूट व बम विस्फोट किए गए, जिनमे से 02 मंदिर (रघुनाथ मंदिर, बारामुला व शिव मंदिर, पुलवामा) पूर्णतः नष्ट किए गए। 1989 में भी सभी मंदिरों को भारी क्षति पहुंचाई गई। 1990 व 1991 में बम विस्फोट सबसे अधिक किए गए। 1992 में नष्ट किए गए मंदिरों में सबसे अधिक लूट की गई।

यहाँ इन संख्याओं को उजागर करने का उद्देश्य मुख्यतः यह बताना है कि यह घटनाएँ 20वीं सदी के भारत की हैं जहां धार्मिक सम्मान, धर्मनिरपेक्षता व स्वतंत्रता की बात की गई है। ऐसा नहीं है कि इससे पूर्व कश्मीर में कोई मंदिर नहीं नष्ट किए गए। 20वीं सदी के भारत में जहां इस प्रकार के रिकार्ड बनाना सरल है। जहां इन क्षतिग्रस्त मंदिरों के रिकार्ड हैं। किन्तु यदि हम स्वतंत्रता पूर्व भारत, मुख्यतः मुगल आक्रमण के समय की बात करें, उस समय के भी बहुत–से रिकार्ड उपस्थित हैं, परंतु कहीं न कहीं विचारधारात्मक आधार पर विद्वानों व व्यक्तियों के मध्य यह एक विवाद का विषय है, जहां मंदिरों को नष्ट किए जाने की घटनाओं को असत्य बताया जाता है। तथापि, आगरा में ताजमहल का निर्माण, ज्ञानव्यापी में मस्जिद के निर्माण के पीछे मंदिरों को नष्ट किए जाने के दावे अयोध्या में राम मंदिर के निर्णय के पश्चात तीव्र हुए हैं। जिनके साथ ही, कश्मीरी हिंदुओं द्वारा भी तीव्रता से घाटी में क्षतिग्रस्त मंदिरों के पुनरुत्थान की मांग की गई।

मार्तण्ड सूर्य मंदिर का इतिहास

मार्तण्ड सूर्य मंदिर भारत के जम्मू और कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश) की कश्मीर घाटी में अनंतनाग शहर के समीप स्थित एक हिन्दू मंदिर है। यह आठवी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बनाया गया हिन्दू धर्म में प्रमुख सूर्य देवता को समर्पित थाय सूर्य को संस्कृत–भाषा के पर्याय मार्तण्ड से भी जाना जाता है। मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड़ ने किया था।

इतिहासकारों का मानना है कि मार्तण्ड सूर्य मंदिर का निर्माण 725 और 756 ईस्वी के दौरान हुआ था। राज्य ललितादित्य ने 724 सी ई और 760 सी ई के मध्य कश्मीर पर शासन किया। राज्य ललितादित्य द्वारा निर्मित अन्य मंदिर नारानाग के मंदिर और परिहस्पोरा के खंडहर हैं। मार्तण्ड मंदिर एक पठार के ऊपर बनाया गया था जहां से पूरी कश्मीर घाटी को देखा जा सकता है। खंडहर और संबंधित पुरातात्विक निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि यह कश्मीरी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना था, जिसने गंधारन, गुप्त और चीनी वास्तुकला के रूपों को मिश्रित किया था।

जोनाराजा 1430 के साथ–साथ हसन अली के अनुसार, मंदिर को सिकंदर शाह मिरी (1389.–1413) ने सूफी उपदेशक मीर मुहम्मद हमदानी की सलाह पर समाज का इस्लामीकारण करने के उत्साह में नष्ट किया था। जोनाराजा के अनुसार यह सुहाभट्टल एक नव–रूपांतरित ब्राह्मण के कारण हुआ, जिसे स्थानीय हिंदुओं के लिए तीव्र उत्पीड़न का शासन प्रकट करने के लिए रखा गया था, जबकि अली ने विशेष रूप से इन पहलुओं में सिकंदर के स्वयं के विश्वासों की पुष्टि की।

विद्वानों ने इन स्त्रोतों को अंकित मूल्य पर स्वीकार करने के विरुद्ध चेतावनी दी है– जोनाराजा को सिकंदर के बेटे द्वारा नियुक्त किया गया था, जिसने ब्राह्मणवादी अभिजात वर्ग को शाही सूची में वापस लाने की मांग की थी, जबकि बाद में मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे रुढ़िवादी इस्लामी नैतिकता की एक आदर्शवादी कहानी के रूप में प्रस्तुत किया। चित्रलेखा जुत्शी और रिचर्ड जी सॉलोमन के अनुसार, सिकंदर की नीतियों को वास्तविक राजनीति द्वारा निर्देशित किया गया था और, पिछले हिन्दू शासकों की भांति, ब्राह्मणों पर राज्य की शक्ति का दावा करके और ब्राह्मणवादी संस्थानों द्वारा नियंत्रित धन तक पहुँच प्राप्त करके राजनीतिक वैधता को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया था।

कल्हण ने अपनी महाकाव्य पुस्तक राजतरंगिणी में कश्मीर के सम्पूर्ण इतिहास को प्रलेखित किया है। यह पुस्तक 1148 और 1149 के मध्य संस्कृत में लिखी गई थी। कल्हण कश्मीरी मंत्री चनपाक के पुत्र थे। ऐसा माना जाता है कि चानपाक ने लोहार वंश के राजा हर्ष के दरबार में सेवा की थी।

मार्तण्ड मंदिर का विध्वंस

मार्तण्ड सूर्य मंदिर को 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में सिकंदर बुतशिकन के शासन के दौरान नष्ट कर दिया गया था, जो हिंदुओं के बलपूर्वक इस्लाम में धर्मांतरण के लिए उत्तरदायी था, वह कश्मीर के शाह मिरी राजवंश का छठा सुल्तान था। उसने 1389 से 1413 के मध्य शासन किया। यह एक भाव मंदिर था और ऐसा कहा जाता है की मार्तण्ड सूर्य मंदिर को हानि पहुंचाने के लिए उन्हे एक समर्पित सेना और एक वर्ष का समय लगा। कई इतिहासकार इस सिद्धांत को मानते हैं कि उन्होंने मंदिर के अंदरूनी भाग को लकड़ी से भरने और उसमे आग लगाने का आदेश दिया था।

सिकंदर बुतशिकन धार्मिक कट्टर था और वह मूर्ति–भंजक के रूप में भी जाना जाता था। सूफी संत, मीर मुहम्मद हमदानी ने उसे तत्कालीन बहुसंख्यकों पर अपराध करने के लिए प्रभावित किया। परिणामस्वरूप, कई हिंदुओं ने बड़ी संख्या में इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। उनके वंशज अब कश्मीर मे रहते हैं और स्वयं को मुसलमान के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जो इस्लाम स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे, वह या तो कश्मीर से भाग गए या मारे गए। यह 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के सामूहिक वध से प्रथक नहीं था।

धर्म के विस्तार की तीव्रता ने सिकंदर की उग्रता को बढ़ा दिया था, जिसके चलते उसने कई हिन्दू मंदिरों को नष्ट किया। उनमें से कुछ में बहरारे में महादेव का प्रतिष्ठित मंदिर, प्रवसेना द्वारा निर्मित महा–श्री का मंदिर और तारापीड़ा द्वारा एक अन्य मंदिर सम्मिलित है। उसने जगदार में मंदिर, सिनपुर में राज्य अलमदत द्वारा निर्मित मंदिर और कश्मीर के बिजबेहरा में भव्य हिन्दू मंदिर को भी नष्ट कर दिया। सिकंदर ने कई आश्रमों, विहारों, तीर्थस्थलों, चौत्यों और अन्य पवित्र स्थानों को भी नष्ट कर दिया जहां हिन्दू और बौद्ध पूजा करते थे।

सिकंदर ने कई कठोर और अनुचित नीतियाँ भी स्थापित की। उदाहरण के लिए, हिंदुओं को अपने माथे पर तिलक या टीका लगाने की अनुमति नहीं थी। गैर–मुसलमानों को जजिया कर देने के लिए विवश किया गया था। यह शरीयत कानून प्रत्येक स्थान पर था। वर्तमान बिहार में बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की बहुमूल्य पुस्तकों को नष्ट करने की ही भांति, सिकंदर बुतशिकन ने भी कश्मीर की कई प्राचीन और पवित्र हिन्दू पुस्तकों को नष्ट कर दिया। यह उस समय भारत के दुष्ट इस्लामी आक्रमणकारियों की नीति थी। एम. मुजीब के अनुसार, हिंदुओं के जबरन धर्मांतरण को एक नियमित प्रथा बनाना उनकी निरंतर राजनीतिक नीति थी।

वर्तमान स्थिति एवं नीतियां

वर्तमान सरकार नरेंद्र मोदी सरकार के अंतर्गत पहली बार, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (एनएमए) ने कश्मीर घाटी के महत्वपूर्ण हिन्दू–बौद्ध स्मारकों का विस्तृत सर्वेक्षण किया। इन स्मारकों और मंदिरों के सर्वेक्षण के लिए एनएमए के अध्यक्ष तरुण विजय ने स्वयं कश्मीर का दौरा किया। तरुण विजय ने मीडिया में स्पष्ट रूप से कहा कि "आतंकवाद ने न केवल कश्मीर के मानव जीवन पर प्रभाव डाला है, अपितु हिन्दू–बौद्ध मंदिरों और स्मारकों को भी प्रभावित किया है।"

तरुण विजय के अनुसार उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रयासों ने ही इन विरासतों की रक्षा के लिए अधिकारियों में उत्साह का संचार किया है और कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए एक नया अभियान शुरू किया है। उनके अनुसार, सरकार मर्तण्ड मंदिर के पुनरुत्थान और चार प्रमुख प्राचीन स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्मारक घोषित करने की योजना बना रही है। कश्मीर को विश्व स्तरीय विरासत स्थलों का खजाना है, जिसे पुर्व की किसी भी सरकार के द्वारा संजो कर नहीं रखे गए और न ही यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित हुए। किन्तु अब वर्तमान सरकार क्योंकि इन स्थलों के पुनरुत्थान के लिए कदम उठा रही है तो एनएमए कम से कम चार प्रमुख पुरातात्विक स्थलों जैसे मार्तण्ड सूर्य मंदिर, परिहास्पोरा, नारनग और हरवन को देखने के का काम् केंद्र शासित प्रदेश सरकार और एएसआई के साथ करेगा, जिससे इन स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में जोड़ा जा सके।

भारत में मंदिरों का पुनरुत्थान कोई धर्म विशेष विषय नहीं है, अपितु यह एक सांस्कृतिक विषय है। इतिहास में किसी समुदाय विशेष के साथ हुए अन्याय व उसकी सांस्कृतिक पहचान का विषय है। मंदिरों के विषयों को लेकर हाल ही में हुए सभी निर्णय न्यायालयों के माध्यम से ही किए गए हैं जो धार्मिक आस्था के साथ लोगों की संविधान में आस्था को भी दर्शाता है।

संदर्भ–सूची

- Majumdar, R.C. (ed.) (2006). The Delhi Sultanate, Mumbai:Bharatiya Vidya Bhavan, p.466
- Slaje, Walter. (ed.) (2014). Kingship in Kasmir (AD 1148-1459); From the Pen of Jonaraja, Court Pandit to Sultan Zayn al-Abidin, Halle: Studia Indologica Universitatis Halensis.
- Stein, M.A, Kalhana's Rajatarangini: A Chronicle of the Kings of Kashmir, Vol-I, Motilal Banarsidas.
- https://www.hindustantimes.com/india/208-temples-damaged-in-kashmir-in-last-two-decades-kashmir-govt/story-s5dlIY9G8cM373tMK1S9GN.html
- https://arisebharat.com/2019/02/13/a-list-of-temples-destroyed-in-the-kashmir-valley-between-1986-1996/
- https://web.archive.org/web/20120507130954/http://asi.nic.in/asi_monu_alphalist_jk.asp
- https://www.dailyexcelsior.com/modi-govt-keen-to-save-kashmirs-hindu-buddhist-sites-tarun-vijay/

सी.जी.एस.

वैश्विक अध्ययन केंद्र

अकादमिक अनुसंधान केंद्र भवन

गुरू तेग बहादुर मार्ग

दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली - 110007

www.cgs.du.ac.in office@cgs.du.ac.in @cgsofficialdu +91-11-27666281